रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 27, 1980/चैत्र 7, 1902
No. 121] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 1980/CHAITRA 7, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1980

का०आ० 215 (अ).—श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13क्क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), दिनांक 9 फरवरी, 1979 में प्रकाशित अधिसूचना का०आ० 82 (ई) दिनांक 9 फरवरी, 1979 द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों की मजदूरी दरों के निर्धारण और पुनरीक्षण के प्रयोजन हेतु एक अधिकरण गठित किया, जिसमें श्री डी० जी० पालेकर, सर्वोच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त जज शामिल हैं। इस अधिकरण ने अब श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी दरों और सम्बद्ध मामलों के संबंध में अनन्तिम प्रस्ताव तैयार किए हैं जो इस अधिसूचना के परिशिष्ट-ख के रूप में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं। जो अपनी टिप्पणियां भेजने के इच्छुक हों, वे उन्हें पांच प्रतियों में अधिकरण के प्रशासन अधिकारी, श्रमिक शिक्षा भवन, एल० बी० शास्त्री मार्ग, कुर्ला, बम्बई-400070 को 31 मार्च, 1980 तक अवश्य भेज दें।

परिशिष्ट 'ख'

श्रमजीवी अधिकरण के अंतरिम प्रस्ताव

भाग I

प्रारम्भिक :

1. **परिभाषा :**

"समाचार पत्र प्रतिष्ठान", "श्रमजीवी पत्रकार" और "पत्रकारों से भिन्न समाचार पत्र कर्मचारी" शब्दों का वही अर्थ होगा जो श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955, जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है, में दिया गया है। इन प्रस्तावों के प्रयोजन के लिए "समाचारपत्र प्रतिष्ठान" में समाचार एजेंसी शामिल नहीं होगी। उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान के मामले में जिसका लेखा वर्ष कलैन्डर वर्ष है, "लेखा वर्ष", जो वित्तीय वर्ष के सन्दर्भ में प्रयुक्त होता है, से अभिप्राय वह कलैण्डर वर्ष होगा और उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान के संबंध में, जिसका लेखा वर्ष कलैण्डर वर्ष से भिन्न है, "लेखा वर्ष" से अभिप्राय प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष से है, जिसका आधे से ज्यादा भाग उस विशेष वर्ष में आता है।

उदाहरण : यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष पहली अप्रैल से शुरू होता है, तो अनुवर्ती पैराग्राफों में लेखा वर्ष 1977 का अर्थ ऐसे प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1977-78 से लगाया जाएगा ; दूसरी ओर, यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष पहली अक्तूबर से शुरू होता है, तो इन पैराग्राफों में लेखा वर्ष 1977 का अर्थ उस प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1976-77 से लगाया जाएगा।

उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान के बारे में, जिसका लेखा वर्ष पहली जुलाई से शुरू होता है, लेखा वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें प्रथम छः मास आते हैं।

"वर्ग" से अभिप्राय, पैराग्राफ 14 में निर्दिष्ट व्यवसायिक ग्रुपों के अन्तर्गत उल्लिखित किसी भी प्रकार के कर्मचारी से है।

किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान की "सकल आमदनी" से अभिप्राय निष्ठान द्वारा अपने समाचारपत्र व्यापार से सभी स्रोतों से प्राप्त आमदनी है जिसमें इसके समाचारपत्र का/समाचारपत्रों का परिचालन और उनमें दिए गए विज्ञापन भी शामिल हैं। इसमें समाचारपत्र व्यापार में निहित आस्तियों और अर्जित राशि में से किए गए निवेशों से आमदनी शामिल है।

परिचालन और विज्ञापन के संबंध में आमदनी से तात्पर्य उस राशि से होगा जो वस्तुतः यथोचित कमीशन देने के पश्चात प्राप्त होगी। यथोचित कमीशन वह कमीशन है जो अन्ततः आयकर प्राधिकारियों द्वारा किसी विशेष समाचारपत्र प्रतिष्ठान के बारे में स्वीकार किया गया हो। उन मामलों में जहां आयकर प्राधिकारियों का ऐसा अंतिम निर्णय उपलब्ध न हो, वहां परिचालन कमीशन आमदनी का 28 प्रतिशत और विज्ञापन कमीशन 15 प्रतिशत होगा।

भाग II

समाचारपत्र प्रतिष्ठान का वर्गीकरण

2. श्रमजीवी पत्रकारों की मजदूरी दरों को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से किया जाएगा।

3. समाचार पत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण 1977, 1978 और 1979 के तीन लेखा वर्षों की औसत सकल आमदनी पर आधारित होगा।

4. उन समाचारपत्रों प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिन्होंने उपर्युक्त तीन लेखा वर्षों में से दो लेखा वर्ष पूरे कर लिए हैं, उसका वर्गीकरण इन दो वर्षों की औसत सकल आमदनी के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

5. जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान ने उक्त लेखा वर्षों का केवल एक ही लेखा वर्ष पूरा किया है, उसका वर्गीकरण उस वर्ष की सकल आमदनी के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

6. किसी नए समाचारपत्र प्रतिष्ठान, अर्थात् ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान का, जिसे पैरा 3, 4 और 5 के उपबन्ध लागू नहीं होते, वर्गीकरण उसके प्रथम लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात उस वर्ष की सकल आमदनी के आधार पर होगा।

7. उपर्युक्त पैरा 4 से 6 तक में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को, जिसका वर्गीकरण दो लेखा वर्षों के आधार पर किया जाता है, उस श्रेणी की अपेक्षा, जिसमें उसे रखा जाएगा, एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा और जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान का वर्गीकरण एक लेखा वर्ष के आधार पर किया जाता है उसे दो श्रेणियों नीचे रखा जाएगा। किसी भी मामले में उसे श्रेणी 7 से नीचे नहीं रखा जाएगा।

8. यदि कोई वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान अपने पुराने समाचारपत्रों में से किसी एक समाचारपत्र को उसे नये केन्द्र से शुरू करता है जहां उसका अन्य कोई समाचारपत्र प्रकाशित नहीं होता, तो जहां तक नए केन्द्र का संबंध है, उस समाचारपत्र के प्रथम दो लेखा वर्षों के लिए उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा, जिसमें उसे कुल सकल आमदनी के आधार पर रखा जाता है और वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान को, जो ऐसे केन्द्र से कोई नया समाचारपत्र शुरू करता है, जहां उसका अन्य कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता, नए केन्द्र में तीन लेखा वर्षों के लिए वैसे ही नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा। जहां तक नए केन्द्र का संबंध है, किसी भी मामले में उसे श्रेणी 7 से नीचे नहीं रखा जाएगा।

9. पैराग्राफ 3 से 8 तक के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित वर्गीकरण उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि पैराग्राफ 13 के उपबन्धों के अनुसार समाचारपत्र प्रतिष्ठान का पुनर्वर्गीकरण नहीं हो जाता।

10. यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, तो पैराग्राफ 2 से 9 के उपबन्ध ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को लागू होंगे मानों पिछले स्वामी के अधीन संगत लेखा वर्षों के संबंध समाचारपत्र प्रतिष्ठान की सकल आमदनी नये स्वामी के अधीन उन वर्षों की आमदनी हो।

11. परन्तुक के अध्याधीन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को उनकी सकल आमदनी के आधार पर निम्नलिखित 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा :—

श्रेणी	सकल आमदनी
I वी०	25 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 50 करोड़ रुपये से कम।
I ए०	10 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 25 करोड़ रुपये से कम।
I	2 करोड़ रुपये और उससे अधिक, लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम।
II	1 करोड़ रुपया और उससे अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम।
III	50 लाख रुपये और उससे अधिक, लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम।
IV	30 लाख रुपये और उससे अधिक, लेकिन 50 लाख रुपये से कम।
V	15 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 30 लाख रुपये से कम।
VI	5 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 15 लाख रुपये से कम।
VII	5 लाख रुपये से कम।

बशर्ते कि फिर भी, जहां श्रमजीवी पत्रकारों के दूसरे वेतन बोर्ड द्वारा 4, 5 और 6 के लिए न्यूनतम और अधिकतम सकल आमदनी के भिन्न-भिन्न वर्ग निर्धारित किए जाने की वजह से समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के श्रमजीवी पत्रकार इन सिफारिशों के लागू होने से तत्काल पहले गैर-पत्रकार कर्मचारियों की अपेक्षा उच्च श्रेणी में रखे गए थे, वहां पहले वाले प्रतिष्ठान उस समय तक उच्च श्रेणी में रहेंगे, जब तक इसके वर्गीकरण या पुनर्वर्गीकरण के समय, जैसी स्थिति हो, समाचारपत्र प्रतिष्ठान की सकल आमदनी के परिणामस्वरूप श्रेणी का भेदभाव दूर नहीं हो जाता।

12. यदि उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान की, जो श्रेणी 7 में नहीं आता, विज्ञापन आमदनी इसकी सकल आमदनी से 40 प्रतिशत कम है, तो उसे उस श्रेणी के एक श्रेणी नीचे रखा जाए, जिसमें वह अपनी सकल आमदनी के आधार पर आएगा।

पुनर्वर्गीकरण :

13. नियोजक या कर्मचारी दोनों में से प्रत्येक को यह छूट है कि वह लेखा वर्ष 1981 के पश्चात किसी भी समय पिछले तीन लेखा-वर्षों की औसत सकल आमदनी के आधार पर समाचारपत्र प्रतिष्ठान का पुनर्वर्गीकरण कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण तीन लगातार लेखा वर्षों की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं किया जाना चाहिए।

भाग III

श्रमजीवी पत्रकारों की ग्रुपिंग

14. **पूर्णकालिक कर्मचारी :**

(क) श्रेणी 4, 6 और 7 से भिन्न श्रेणी के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में

ग्रुप 1 : संपादक ।

ग्रुप 1 ए : रेजिडेंट संपादक, सहयोगी संपादक, संयुक्त संपादक, उप संपादक ।

ग्रुप 1 बी : सहायक संपादक, लीडर लेखक, समाचार ब्यूरो के प्रमुख, समाचार संपादक, विशेष संवाददाता ।

ग्रुप 2 : उप और सहायक समाचार संपादक, प्रमुख संवाददाता, प्रमुख उप संपादक, खेल कूद संपादक, वाणिज्य संपादक, फिल्म संपादक, मैगजीन संपादक, कार्टूनकार, सांख्यिकी के प्रमुख या अनुसंधान प्रभाग, मुख्य समाचार फोटोग्राफर, मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, मुख्य सूचकांक सहायक, मुख्य सुलेखकार, मुख्य कलाकार, बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता में राज्य सरकार के प्रत्यायित प्रधान संवाददाता, केन्द्रीय सरकार के प्रत्यायित संवाददाता, विशेष संवाददाता और अन्य अनुभागीय या ब्यैच प्रमुख से भिन्न, जिन्हें उच्च वर्ग में न रखा गया हो ।

ग्रुप 2ए : उप प्रमुख उप संपादक या वरिष्ठ उप संपादक, उप प्रमुख रिपोर्टर या वरिष्ठ रिपोर्टर, वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ सुलेखकार, वरिष्ठ कलाकार वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष तथा वरिष्ठ सूचकांक सहायक ।

ग्रुप 3 : उप संपादक, रिपोर्टर संवाददाता, समाचार फोटोग्राफर, कलाकार, सुलेखकार, पुस्तकाध्यक्ष, सूचकांक सहायक, मुख्य प्रूफ रीडर ।

ग्रुप 4 : प्रूफ रीडर और किसी अन्य ग्रुप के अन्तर्गत आने वालों से भिन्न सभी श्रमजीवी पत्रकार, बशर्ते कि संस्थान द्वारा उच्च स्थान न रखा गया हो ।

(ख) श्रेणी 5, 6 और 7 के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में :—

ग्रुप 1 : संपादक ।

ग्रुप 1 बी : सहायक संपादक, लीडर लेखक, समाचार संपादक, विशेष संवाददाता ।

ग्रुप 2 : मुख्य उप संपादक, मुख्य रिपोर्टर, खेल कूद संपादक, वाणिज्य संपादक, कार्टूनकार, सांख्यिकी प्रभाग के प्रमुख, अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख, बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता में राज्य सरकार के प्रत्यायित प्रधान संवाददाता, विशेष संवाददाता से भिन्न केन्द्रीय सरकार के प्रत्यायित संवाददाता

ग्रुप 3 : उप संपादक, रिपोर्टर, संवाददाता, समाचार फोटोग्राफर, सुलेखकार कलाकार, पुस्तकाध्यक्ष सूचकांक सहायक और मुख्य प्रूफ रीडर ।

ग्रुप 4 : प्रूफ रीडर और किसी अन्य ग्रुप के अन्तर्गत आने वालों से भिन्न सभी श्रमजीवी पत्रकार, बशर्ते कि संस्थान द्वारा उच्च स्थान न रखा गया हो ।

(श्रमजीवी पत्रकारों के विभिन्न वर्गों की कार्य परिभाषा के लिए परिशिष्ट 1 देखें) ।

II. अंशकालिक कर्मचारी :

"अंशकालिक संवाददाता" का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाचार संस्थान का अंशकालिक कर्मचारी हो और जिसका प्रधान उप व्यवसाय पत्रकारिता हो ।

15. एक समाचार संस्थान के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह उपर्युक्त ग्रुपों में उल्लिखित सभी वर्ग या किसी वर्ग के कर्मचारी नियुक्त करे । कुछ कार्यों को मिलाया जा सकता है और इस मामले में उसे उच्चतम वर्ग से संबंधित कर्मचारी समझा जाएगा जिस वर्ग का वह कार्य करता है ।

16 किसी कर्मचारी के प्रधान कर्तव्य द्वारा ही उसके वर्ग का निर्धारण किया जाना चाहिए । ऐसे वर्गीकरण के लिए न तो पदनाम और न ही अनियमित या प्रासंगिक कार्य को ध्यान में लाना चाहिए ।

भाग 4

पारिश्रमिक :

17. मजदूरी, वेतनमान और ग्रेड :

विभिन्न श्रेणियों के समाचारपत्र संस्थानों में नियोजित भिन्न-भिन्न ग्रुपों के श्रमजीवी पत्रकारों को इससे संलग्न तालिका-1 में ही दिए गए वेतनमान के अनुसार प्रतिमाह मूल वेतन मिलना चाहिए ।

महंगाई भत्ता:

18. वर्तमान निर्धारित महंगाई भत्ता, परिवर्ती महंगाई भत्ता और मूल मजदूरी को, जिसमें अन्तरिम सहायता शामिल है, अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 390 (1949-100) के आधार पर निर्धारित किया गया है । नया परिवर्ती भत्ता सूचकांक 390 से आगे परिकलित किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा । लेकिन ऐसा करने में समतुल्य सूचकांक अर्थात् 321 (आधार 1960-100) को, जिसका परिकलन श्रम ब्यूरो ने किया है और आधार 1960-100 की सीरीज को अनुसरण किया जाएगा, क्योंकि 1949-100 की पुरानी सीरीज को बन्द कर दिया गया है । सूचकांक 321 से महंगाई भत्ते में 1960 सीरीज के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 प्वाइंटों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के साथ परिवर्तन होगा । महंगाई भत्ते में मजदूरी स्लैबों के साथ भी परिवर्तन होगा, जैसा इसके साथ संलग्न तालिका 2 में दिखाया गया है ।

अंशकालिक संवाददाता :

19. प्रत्येक अंशकालिक संवाददाता को वैसे ही स्तर के पूर्णकालिक संवाददाता को मिलने वाली मूल मजदूरी (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 1/3 से कम नहीं दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, यह अदायगी कालम आधार पर की जानी चाहिए जिसकी दर पारस्परिक बातचीत द्वारा निर्धारित की जाएगी । शर्त यह है कि कोई भी समाचारपत्र प्रतिष्ठान अंशकालिक संवाददाता पर किसी प्रकार की ऐसी रोक नहीं लगाएगा कि वह एक से अधिक समाचारपत्र के लिए काम नहीं करेगा, जब तक कि वह पूरे समय के लिए नियुक्त नहीं हो जाता ।

भाग 5

अन्य भत्ता :

20 (क) मकान किराया भत्ता . इसके साथ संलग्न तालिका 3 में निर्दिष्ट मकान किराया भत्ता भी प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाएगा ।

(ख) रात्रि पारी भत्ता : समाचारपत्र प्रतिष्ठान द्वारा तालिका 4 में दिखाई गई दरों पर रात्रि पारी भत्ता दिया जाएगा ।

(ग) प्रतिपूरक भत्ता : सभी समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा तालिका 5 में निर्दिष्ट दरों पर प्रतिपूरक भत्ता दिया जाएगा ।

भाग 6

21. **फिटमेंट नियम**

(1) फिटमेंट नियमों के प्रयोजन के लिए "कर्मचारी" से "श्रमजीवी पत्रकार" अभिप्रेत है ।

(2) किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियों" से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 390 (आधार 1949-100) आधार पर उनका मूल वेतन, निर्धारित महंगाई भत्ता, परिवर्ती महंगाई भत्ता तथा श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना तारीख पहली अप्रैल, 1977 के अनुसरण में दी गई अंतरिम सहायता (तदर्थ भुगतान द्वारा) जो वैयक्तिक रूप से लागू है, अभिप्रेत होगी ।

(3) किसी कर्मचारी की "अतिरिक्त परिलब्धियों" से "वर्तमान परिलब्धियों" के अलावा ऐसी परिलब्धियां अभिप्रेत है, जिनका उल्लेख नियम (2) में किया गया है, जो मूल वेतन, महंगाई भत्ते या अंतरिम सहायता में समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा स्वेच्छिक रूप से या सामूहिक सौदाकारी समझौते या पंचाट के फलस्वरूप दी गई है, परन्तु इनमें अन्य कोई भत्ता या आर्थिक लाभ या जिनमें किसी प्रकार के अन्य लाभ का धन मूल्य शामिल नहीं होगा ।

(4) "संशोधित वेतनमान" से अभिप्रेत इन सिफारिशों के अनुसार किसी कर्मचारी को लागू वेतनमान से होगा ।

(5) संशोधित वेतनमान पहली जनवरी, 1978 से लागू होंगे, जिसको इसके पश्चात् "संगत तारीख" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(6) प्रत्येक कर्मचारी को उसकी "वर्तमान परिलब्धियों" के साथ संगत तारीख से संशोधित वेतनमान में लाया जाएगा और उपयुक्त स्टेज पर उस वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा, जो स्थिति के अनुसार या तो प्रारंभिक नए वेतनमान के न्यूनतम या प्रारंभिक वेतनमान से अधिक पर होगा ।

(7) यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियां संशोधित वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है, परन्तु जो संशोधित वेतनमान की किसी भी स्टेज के बराबर नहीं है, तो उसके वेतन को उससे अगले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा ।

(8) इसके अलावा, प्रत्येक कर्मचारी को संगत तारीख से पूर्व के पुराने वेतनमान में प्रत्येक पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी । ऐसी वेतन-वृद्धियों की कुल संख्या तीन से अधिक नहीं होगी ।

बशर्ते कि —

(i) किसी भी कर्मचारी को संशोधित वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा नहीं मिलेगा ।

(ii) किसी भी सूरत में फिटमेंट या इन सिफारिशों में निर्दिष्ट उपबंधों के लागू होने के परिणामस्वरूप वर्तमान परिलब्धियों की कुल राशि को कम नहीं किया जाएगा ; शेष राशि, यदि कोई हो, को वैयक्तिक वेतन समझा जाएगा ।

(9) इन सिफारिशों से नियम (3) में निर्दिष्ट अतिरिक्त परिलब्धियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(10) इन सिफारिशों को लागू करने संबंधी सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के छः माह के भीतर, प्रत्येक कर्मचारी या तो अपने पुराने वेतनमान और "वर्तमान परिलब्धियों" को रखने या संगत तारीख से संशोधित वेतनमान में आने के लिए अपना विकल्प देगा ।

(11) पिछले मजदूरी बोर्ड के अनुसार "वर्तमान परिलब्धियों" और परिवर्ती महंगाई भत्ता उस समय तक दिया जाना रहेगा जब तक कर्मचारी नियम (10) के अधीन अपना विकल्प नहीं देता ।

(12) जब किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान को उपर्युक्त पैरा 13 के अन्तर्गत पुनः वर्गीकृत किया जाता है, तब कर्मचारी को उस श्रेणी के उपयुक्त संशोधित वेतनमान में फिट किया जाएगा । यदि मूल वेतन उस श्रेणी के संशोधित वेतनमान की स्टेज से मेल नहीं खाता, तो वर्गीकरण के बढ़ जाने से कर्मचारी का वेतन अगले उच्च स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा और वर्गीकरण के कम हो जाने पर कर्मचारी का वेतन पिछली स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा । दूसरे मामले में उच्चतर वर्तमान मूल वेतन को सुरक्षित रखा जाएगा और वर्तमान मूल वेतन तथा उसके नए वेतनमान के बीच के अंतर को वैयक्तिक वेतन के रूप में समझा जाएगा या इस भविष्य की वेतन-वृद्धियों में खपा दिया जाएगा ।

(13) किसी कर्मचारी के संशोधित वेतनमान में आने से उसकी सामान्य वेतन-वृद्धि की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

22. अधिनियम की धारा 13-क की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित अंतरिम मजदूरी दरें धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश लागू होने की तारीख से छः माह के पश्चात् या ऊपर पैरा 21(10) के अनुसार कर्मचारी द्वारा विकल्प देने के पश्चात्, जो भी पहले हो, लागू नहीं रहेगा ।

23. श्रम जीवी पत्रकार को, उसकी दो वर्ष की शिक्षुता अवधि के दौरान उस पद के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 60 प्रतिशत वजीफा मिलेगा जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

24. किसी विशेष समाचार प्रतिष्ठान को लागू स्थायी आदेशों के उपबंधों के अध्यधीन, किसी श्रमजीवी पत्रकार को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षाधीन पत्रकार के रूप में नियोजित किया जाएगा । इस परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान उसे उस प्रतिष्ठान और ग्रुप, जिसमें वह परिवीक्षाधीन पत्रकार है, के वर्ग को लागू वेतनमान के न्यूनतम से कम मूल वेतन नहीं दिया जाएगा । तथा उसे उस पद के लिए ग्राह्य भत्ते भी दिए जाएंगे । उच्च पद में परिवीक्षाधीन पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे श्रमजीवी पत्रकार के मामले में, यदि वह उच्च पद के न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन पा रहा है, तो उसे परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान निचले पद के वेतन के अतिरिक्त उच्च पद के न्यूनतम वेतन का 10 प्रतिशत मिलेगा ।

लागू होने की तारीख

25. ये प्रस्ताव पैरा 21(5) में निर्दिष्ट संगत तारीख से प्रत्येक समाचारपत्र प्रतिष्ठान के संबंध में लागू होंगे ।

बकाया राशियों का भुगतान

26. पैरा 21(5) में व्यवस्थित पूर्वापेक्षी तारीख से लागू होने के परिणामस्वरूप देय बकाया राशियों, यदि कोई हो, का भुगतान दो किस्तों से अनधिक किस्तों में नहीं किया जाना चाहिए । यह भुगतान अधिनियम की धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश के प्रकाशन की तारीख से नौ मास के भीतर किया जाना चाहिए ।

समाचार एजेंसियां

1-7-1976 से चार समाचार एजेंसियों के विलय के पश्चात् समाचार द्वारा निर्धारित संशोधित वेतनमानों से निस्सन्देह चारों समाचार एजेंसियों के सभी कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है । यह वृद्धि सचमुच पर्याप्त है । समाचार द्वारा दिए गए अनेक भत्तों, लाभों और सुविधाओं से कुल परिलब्धियों में वृद्धि हुई है । आय की ये आइटमें इस समय कुछ बड़े-बड़े समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त, समाचार ने 1-4-77 से अपने कर्मचारियों को पूर्ववर्ती मजदूरी बोर्ड द्वारा दी गई ठोस अंतरिम सहायता की मंजूरी दे दी । 13-4-1978 को समाचार को भंग कर दिया गया और तत्पश्चात् समाचार एजेंसियों को यथापूर्व स्थिति में लाया गया । यह महसूस करते हुए कि समाचार एजेंसियां समाचार द्वारा वर्धित व्यय को वहन करने के योग्य नहीं होंगी, सरकार ने सभी एजेंसियों को पुनर्वास ऋण दिए और 1984 तक 6 वर्ष के लिए सहायक अनुदान भी दिया । पुनर्वास प्रक्रिया अब चल रही है और उनकी वित्तीय क्षमता की स्पष्ट स्थिति इसलिए मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल हाल ही में कार्य करना शुरू किया है । अत. इस समय मजदूरी की दरों में कोई संशोधन करना संभव नहीं है । सभी समाचार एजेंसियां 1-4-1977 से अंतरिम सहायता का भुगतान कर रही हैं । उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में जारी रखा जाना चाहिए ।

तालिका 1

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
1बी			
(25 करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 50 करोड़ रुपये से कम)	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1ए	1800-150-2400-175-2925-200-3525 रुपये (4) (3) (3)	(10)
	1बी	1550-120-2030 140-2590-160-3070 रुपये (4) (4) (3)	(11)
	2	1400-90-1760-100-2160-130-2550-150-2850 रुपये (4) (4) (3) (2)	(13)
	2ए	1100-75-1475-90-1925-100-2225-135-2630 रुपये (5) (5) (3) (3)	(16)
	3	1000-65-1325-75-1700-90-2060-105-2480 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	800-40-1000-45-1225-55-1445-65-1705 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
1ए	1	कोई वेतनमान नहीं	
(10 करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 25 करोड़ रुपये से कम)	1ए	1700-140-2260-165-2755-185-3310 रुपये (4) (3) (3)	(10)
	1बी	1450-110-1890-135-2430-155-2895 रुपये (4) (4) (3)	(11)
	2	1350-85-1690-90-2050-125-2425-145-2715 रुपये (4) (4) (3) (2)	(13)
	2ए	1050-70-1400-85-1825-95-2110-130-2500 रुपये (5) (5) (3) (3)	(16)
	3	950-60-1250-70-1600-85-1940-100-2340 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	750-35-925-40-1125-50-1325-60-1565 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
1	1	कोई वेतनमान नहीं	
(2 करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 10 करोड़ रुपये से कम)	1ए	1600-125-2100-150-2550-180-3090 रुपये (4) (3) (3)	(10)
	1बी	1350-100-1750-125-2250-150-2700 रुपये (4) (4) (3)	(11)
	2	1250-80-1570-85-1910-125-2285-140-2565 रुपये (4) (4) (3) (3)	(13)
	2ए	950-60-1250-80-1650-90-1920-125-2295 रुपये (5) (5) (3) (3)	(13)
	3	900-55-1175-65-1500-80-1820-95-2200 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	700-30-850-35-1025-45-1205-55-1425 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
2	1	2,700/- रुपयों से कम ।	
(1 करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 2 करोड़ रुपये से कम)	1ए	1400-100-1800-125-2175-150-2625 रुपये (4) (3) (3)	(10)
	1बी	1335-95-1715-120-2195-140-2615 रुपये (4) (4) (3)	(11)
	2	1200-75-1500-80-1820-100-2120-130-2380 रुपये (4) (4) (3) (2)	(13)
	2ए	900-55-1175-75-1550-85-1805-120-2165 रुपये (5) (5) (3) (3)	(16)
	3	850-50-1100-60-1400-75-1700-90-2060 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	650-30-800-35-975-45-1155-50-1355 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
3	1	2,100/- रुपये से कम ।	
(50 लाख और उससे अधिक रुपये तथा 1 करोड़ रुपये से कम)	1ए	1250-90-1610-100-1910-125-2285 रुपये (4) (3) (3)	(10)
	1बी	1200-70-1480-80-1800-100-2100 रुपये (4) (4) (3)	(11)
	2	1050-65-1310-70-1500-80-1830-90-2010 रुपये (4) (4) (3) (2)	(13)
	2ए	850-50-1100-60-1400-70-1610-80-1850 रुपये (5) (5) (3) (3)	(16)
	3	800-35-975-45-1200-55-1420-65-1680 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	600-25-725-30-875-35-1015-40-1175 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
4	1	2,200/- रुपये से कम ।	
(30 लाख और उससे अधिक रुपये तथा 50 लाख रुपये से कम)	1ए	1100-80-1420-90-1690-110-2020 रुपये (4) (3) (3)	(10)
	1बी	1050-50-1250-60-1490-70-1700 रुपये (4) (4) (3)	(11)
	2	900-45-1080-50-1280-55-1445-70-1585 रुपये (4) (4) (3) (2)	(13)
	2ए	750-35-925-45-1150-55-1315-65-1510 रुपये (5) (5) (3) (3)	(16)
	3	615-30-765-40-965-55-1185-60-1425 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	550-25-675-30-825-35-965-40-1125 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
5	1	1,500/- रुपये से कम ।	
(15 लाख और उससे अधिक रुपये तथा 30 लाख रुपये से कम)	1बी	900-45-1080-50-1280-55-1445 रुपये (4) (4) (3)	(11)
	2	825-40-985-45-1165-50-1315-55-1425 रुपये (4) (4) (3) (2)	(13)
	3	540-25-665-30-815-35-955-40-1115 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	500-20-600-25-725-30-845-35-985 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
6	1	1,200/- रुपये से कम ।	
(5 लाख और उससे अधिक रुपये तथा 15 लाख रुपये से कम)	1बी	700-40-860-45-1040-50-1190 रुपये (4) (4) (3)	(11)
	2	625-35-765-40-925-45-1060-50-1160 रुपये (4) (4) (3) (2)	(13)

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
	3	475-20-575-25-700-30-820-35-960 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	450-20-550-25-675-30-795-35-935 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
7	1	1,150/-रुपये से कम ।	
(5 लाख रुपये से कम)	1बी	650-35-790-40-950-45-1085 (4) (4) (3)	(11)
	2	540-30-660-35-800-40-920-45-1010 रुपये (4) (4) (3) (2)	(13)
	3	425-20-525-25-650-30-770-35-910 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	400-15-475-20-575-25-675-30-795 रुपये (5) (5) (4) (4)	(18)

तालिका II

महंगाई भत्ते की दरें

मूल वेतन स्लैब	सूचकांक में छः पाइंटों की वृद्धि होने पर दी जाने वाली राशि	सूचकांक निम्नलिखित पाइंटों पर पहुंचने पर देय महंगाई भत्ता						
		1960=100 327	333	339	345	351	357	363
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै	रु० पै०
300 रु० तक	8.00	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00
301 रु० से 350 रु० तक	8.40	8.40	16.80	25.20	33.60	42.00	50.40	58.80
351 रु० से 400 रु० तक	9.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00
401 रु० से 450 रु० तक	10.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
451 रु० से 500 रु० तक	11.00	11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00
501 रु० से 550 रु० तक	12.00	12.00	24.00	36.00	48.00	60.00	72.00	84.00
551 रु० से 700 रु० तक	13.00	13.00	26.00	39.00	52.00	65.00	78.00	91.00
701 रु० से 1000 रु० तक	14.00	14.00	28.00	42.00	56.00	70.00	84.00	98.00
1001 रु० से 1150 रु० तक	15.00	15.00	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00	105.00
1151 रु० से 1300 रु० तक	16.00	16.00	32.00	48.00	64.00	80.00	96.00	112.00
1301 रु० से 1600 रु० तक	18.00	18.00	36.00	54.00	72.00	90.00	108.00	126.00
1601 रु० से 2000 रु० तक	19.00	19.00	38.00	57.00	76.00	95.00	115.00	133.00
2001 रु० से 2500 रु० तक	21.00	21.00	42.00	63.00	84.00	105.00	126.00	147.00
2501 रु० से 3000 रु० और इससे अधिक	22.00	22.00	44.00	66.00	88.00	110.00	132.00	154.00

तालिका III

मकान किराया भत्ते की दरें

मूलवेतन स्लैब	महानगर (बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास)	राज्यों की राजधानियां स्तम्भ-2 में निर्दिष्ट महानगरों को छोड़कर	जिला मुख्यालय स्तम्भ-3 में निर्दिष्ट नगरों को छोड़कर	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
300/-रु० तक	वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि 45/- रु०	वेतन का 12½ प्रतिशत अधिकतम राशि 37.50 रु०	वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम राशि 30 रु०	वेतन का 7½ प्रतिशत अधिकतम राशि 22.50 रु०
301 रु० से 500 रु० तक	15% न्यूनतम राशि 45 रु० अधिकतम राशि 75 रु०	12½% न्यूनतम राशि 37.50 रु० अधिकतम राशि 62.50 रु०	10% न्यूनतम राशि 30 रु० अधिकतम राशि 50 रु०	7½% न्यूनतम राशि 22.50 रु० अधिकतम राशि 37.50 रु०
501 रु० से 600 रु० तक	15% न्यूनतम राशि 75 रु० अधिकतम राशि 90 रु०	12½% न्यूनतम राशि 62.50 रु० अधिकतम राशि 75.00 रु०	10% न्यूनतम राशि 50 रु० अधिकतम राशि 60 रु०	7½% न्यूनतम राशि 37.50 रु० अधिकतम राशि 45.00 रु०
601 रु० से 800 रु० तक	15% न्यूनतम राशि 90 रु० अधिकतम राशि 120 रु०	12½% न्यूनतम राशि 75 रु० अधिकतम राशि 100 रु०	10% न्यूनतम राशि 60 रु० अधिकतम राशि 80 रु०	7½% न्यूनतम राशि 45 रु० अधिकतम राशि 60 रु०
801 रु० से 1000 रु० तक	15% न्यूनतम राशि 120 रु० अधिकतम राशि 150 रु०	12½% न्यूनतम राशि 100 रु० अधिकतम राशि 125 रु०	10% न्यूनतम राशि 80 रु० अधिकतम राशि 100 रु०	7½% न्यूनतम राशि 60 रु० अधिकतम राशि 75 रु०
1001 रु० से 2000 रु० तक	15% न्यूनतम राशि 150 रु० अधिकतम राशि 300 रु०	12½% न्यूनतम राशि 125 रु० अधिकतम राशि 250 रु०	10% न्यूनतम राशि 100 रु० अधिकतम राशि 200 रु०	7½% न्यूनतम राशि 75 रु० अधिकतम राशि 150 रु०
2001 रु० से 2500 रु० तक	15% न्यूनतम राशि 300 रु० अधिकतम राशि 375 रु०	12½% न्यूनतम राशि 250 रु० अधिकतम राशि 312.50 रु०	10% न्यूनतम राशि 200 रु० अधिकतम राशि 250 रु०	7½% न्यूनतम राशि 150 रु० अधिकतम राशि 187.50 रु०
2501 रु० से 3000 रु० तक और इससे अधिक	15% न्यूनतम राशि 375 रु० अधिकतम राशि 450 रु०	12½% न्यूनतम राशि 312.50 रु० अधिकतम राशि 375 रु	10% न्यूनतम राशि 250 रु० अधिकतम राशि 300 रु०	7½% न्यूनतम राशि 187.50 रु० अधिकतम राशि 225 रु०

तालिका IV

रात्रि पारी की दरें

रात्रि पारी भत्ता इस प्रकार दिया जाएगा :—

समाचार पत्र प्रतिष्ठान

श्रेणी 1 बी और 1 ए . . . . . 4 रु० प्रति रात
श्रेणी I और II . . . . . 3 रु० प्रति रात
श्रेणी III और IV . . . . . 2 रु० प्रति रात

तालिका V

प्रतिकर भत्ते की दरें

स्थान	मूल वेतनमान	प्रतिकर भत्ता
1. महानगर (बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली)	300/- रु०	वेतन का 6 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 75/- रु०
2. राज्यों की राजधानियों (ऊपर 1 में निर्दिष्ट महानगरों को छोड़कर)	333/- रु० से कम 330/- रु० और उससे अधिक	वेतन का 5 प्रतिशत वेतन का 4½ प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 16.45 रु० और अधिकतम 50/- रु० प्रति माह
3. जिला नगर (राज्य की राजधानियो को छोड़कर)	750/- रु० से कम 750/- रु० और इससे अधिक	वेतन का 3.5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 10/- रु० प्रति माह राशि जो 759/- रु० से कम है ।

अनुसूची 1

वर्ग-1

"सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार पत्र के सम्पादकीय पक्ष को निर्देश देता है और उसका पर्यवेक्षण करता है ।

वर्ग-1क

"रेजीडेंट सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचारपत्र के सम्पादक के रूप में ऐसे केन्द्र से कार्य करता है जो समाचारपत्र के प्रकाशन के मूल स्थान से भिन्न स्थान पर हो ।

"एसोसिएट सम्पादक" या "संयुक्त सम्पादक" या "उप सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सम्पादक की सम्पादक के रूप में कार्य करने में सहायता करता है ।

वर्ग-1बी

"सहायक सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सम्पादक की उसके कार्य के निष्पादन में सहायता करता है, सामान्य टिप्पणियों और विचारों के सम्बन्ध में और सम्पादकीय लिखता है तथा अन्य लेख लिखता है जिसमें पुनरीक्षण, टिप्पणियां और आलोचना शामिल होती है ।

"लीडर लेखक" वह व्यक्ति है जो नियमित रूप से सम्पादकीय लिखता है और अन्य कापी भी लिखता है जिसमें पुनरीक्षण, टिप्पणियां या आलोचना शामिल होती है ।

"समाचार सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार विभाग के कार्य को समन्वित करता है तथा उसका पर्यवेक्षण करता है और समाचार पत्र के सभी संस्करणों के समाचार सम्बन्धी विषय-वस्तु के लिए उत्तरदायी होता है ।

"कार्यालय प्रधान" वह व्यक्ति है जो समाचार कार्यालय के कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा कार्यालय के सदस्यों को कार्य सौंपता है ।

"विशेष संवाददाता" वह व्यक्ति है जिसके कार्यों में अभिज्ञात संवाददाता के रूप में नियमित रूप से संसदीय, राजनीतिक और सामान्य महत्व के सभी समाचारों को सूचित करता तथा उसकी व्याख्या करता या अन्यथा केन्द्रीय सरकार के मुख्यालय या किसी विदेशी केन्द्र या जो एक से अधिक राज्य में नियमित रूप से इसी प्रकार के कार्य करता है या किसी अन्य स्थान जहां उसे ऐसा काम सौंपा जाए ।

वर्ग-2

"उप या सहायक समाचार सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सामान्यता समाचार सम्पादक की उसके कार्य निष्पादन में और/या शहर के संस्करण के प्रकाशन का प्रभारी होता है ।

"मुख्य संवाददाता" वह व्यक्ति है जो प्रकाशन के केन्द्र के सभी संवाददाताओं का प्रभारी होता है, उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा विधायी, राजनीतिक तथा सामान्य महत्व के सारे समाचार को नियमित रूप से प्रकाशित करता है और उसकी व्याख्या करता है ।

"मुख्य उप-सम्पादक" वह व्यक्ति है जो न्यूज डेस्क में पारी का प्रभार लेता है, एक या अधिक उप-सम्पादकों को कार्य आबंटित करता है तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है और वह सामान्यता समाचार के स्थान और समाचार पत्र में समाचार के सामान्य प्रदर्शन या किसी विशेष संस्करण या उसके भाग में प्रकाशन का निर्णय करने के लिए उत्तरदायी होता है ।

"खेलकूद सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार पत्र के खेल-कूद अनुभाग का प्रभारी होता है, वह खेल कूद तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के समाचार तथा विचारों से संबंधित होता है, वह एक या उससे अधिक संवादकों और एक या उससे अधिक सम्पादकों को कार्य आबंटित करता है और उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है और वह सामान्यता समाचार के स्थान निर्धारण खेलकूद समाचार के सामान्य प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होता है ।

"वाणिज्यिक सम्पादक" वह व्यक्ति है जो वाणिज्य, वित्त, व्यापार और उद्योग से संबंधित समाचार तथा विचारों से संबंधित होता है और उन पर टिप्पणियां देता है तथा एक या उससे अधिक संवाददाताओं को कार्य आबंटित करता है तथा उनका पर्यवेक्षण करता है ।

"चलचित्र सम्पादक" वह व्यक्ति है जो चलचित्रों तथा रंगमंच से संबंधित समाचार तथा विचारों से संबंधित होता है और विशिष्ट कालमों या रंगमंच और चलचित्रों से संबंधित पृष्ठ का प्रभारी होता है तथा एक या अधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है ।

"मैगजीन सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार पत्र महत्व से साहित्यिक या मनोरंजन से सम्पर्क रखने वाले समाचारों तथा विचारों से संबंधित होता है । तथा विशिष्ट कालमों या साहित्यिक या इस प्रकार के अन्य सम्बद्ध मामलों से संबंधित पृष्ठ का प्रभारी होता है तथा दो या अधिक कार्यकारी पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है ।

"कार्टूनकार" वह व्यक्ति है जो कार्टूनों तथा व्यंगचित्रों के माध्यम से समाचारों तथा घटनाओं के सम्बन्ध में टिप्पणियां देता है ।

"सांख्यिकीय या अनुसंधान प्रभाग का प्रधान" वह व्यक्ति है जो सांख्यिकीय या अनुसंधान प्रभाग का प्रभारी होता है जो वित्तीय समाचार पत्रों में वाणिज्य, वित्त व्यापार और उद्योग से सम्पर्क रखने वाले मामलों से संबंधित होता है तथा एक या अधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है ।

"मुख्य समाचार फोटोग्राफर" वह व्यक्ति है जो एक या अधिक समाचार फोटोग्राफरों को कार्य आबंटित करता है तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है ।

"मुख्य पुस्तकाध्यक्ष" या "मुख्य इंडेक्स सहायक" या "मुख्य सुलेखकार" या "मुख्य कलाकार" वह व्यक्ति है जो क्रमशः एक या अधिक पुस्तकाध्यक्षों, इंडेक्स सहायकों, सुलेखकारों और कलाकारों को कार्य का पर्यवेक्षण करता है ।

वर्ग-2ए

"उप मुख्य अनु-सम्पादक" या "वरिष्ठ अनु-सम्पादक" वह व्यक्ति है जो, उनकी ड्यूटियों के सम्पादन में मुख्य अनु-सम्पादक की नियमित रूप से सहायता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर कार्य करता है ।

"उप मुख्य रिपोर्टर" या "वरिष्ठ रिपोर्टर" वह व्यक्ति है, जो मुख्य रिपोर्टर की सहायता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता है ।

"वरिष्ठ संवाददाता" विशेष और प्रधान संवाददाताओं के अतिरिक्त एक व्यक्ति है और उनकी ड्यूटियों में प्रकाशन के केन्द्र के अतिरिक्त प्रकाशन के केन्द्र या किसी महत्वपूर्ण केन्द्र पर महत्वपूर्ण समाचारों की रिपोर्ट देना शामिल है और कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो ।

"वरिष्ठ सुलेखक" "वरिष्ठ कलाकार" "वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष" और "वरिष्ठ सूचक सहायक" वे व्यक्ति हैं, जो क्रमशः मुख्य सुलेखक, मुख्य कलाकार, मुख्य पुस्तकाध्यक्ष और मुख्य सूचक सहायक की सहायता करते हैं और जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो ।

वर्ग-3

"उप सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सभी प्रकार के समाचारों को प्राप्त करता है, चुनता है, छोटा करता है, विस्तार देता है, अनुवाद करता है, सम्पादित करता है और शीर्षक देता है तथा इन सभी कार्यों में से कुछ कार्य या सभी कार्य करता है ।

"रिपोर्टर" वह व्यक्ति है, जो किसी विशिष्ट केन्द्र पर सूचना एकत्र करता है और देता है ।

"संवाददाता" वह व्यक्ति है, जो किसी केन्द्र मे समाचार प्राप्त करता है और तार, डाक या अन्य किसी स्रोत से भेजता है ।

"समाचार पत्र फोटोग्राफर" वह व्यक्ति है, जो सार्वजनिक हित की घटनाओं के समाचार चित्रों के माध्यम से एकत्र करता है ।

"कलाकार" वह व्यक्ति है, जो प्रकाशन के लिए ड्राईंग, लेआऊट नक्शे, ग्राफ या अन्य इसी प्रकार की सजावट, सर्जनात्मक कला या किसी प्रकार के उदाहरण तैयार करता है । वह इनमें से सभी कार्यों या कुछ कार्यों को करता है ।

"सुलेखक" वह कलाकार है, जो पत्रकार के कार्य करता है और विषयों का सुलेखन भी करता है ।

"पुस्तकाध्यक्ष" या "सूचक सहायक" वह व्यक्ति है, जो समाचारों और विचारों से संबंधित रिकार्ड तैयार करता है और अनुरक्षण करता है, जिनका प्रयोग प्रचलित कहानियों के लिए पृष्ट भूमि या फिल्ड ग्राउंड के रूप में किया जाता है । ऐसे व्यक्ति, जो इन कार्यों में से किसी भी कार्य को नही करते हैं, सम्मिलित नही किए जाएंगे ।

"मुख्य प्रूफ रीडर" वह है, जो एक या एक से अधिक प्रूफ रीडरों के कार्य का आबंटन और पर्यवेक्षण करता है तथा पारी का प्रभारी होता है ।

वर्ग-4

"प्रूफ रीडर" वह व्यक्ति है, जो सम्पादित प्रति के साथ प्रूफ मुद्रित सामग्री की जांच करता है ताकि पहले की कापी के साथ सही अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके । उनके द्वारा वास्तविक विसंगतियों, हिज्जे की त्रुटियों, व्याकरण की त्रुटियों और वाक्य विन्यासों की खोज भी की जाएगी और वह उनका संशोधन करेगा या करवा लेगा ।

बम्बई

दिनांक : 15 फरवरी, 1980

[सं० बी-24040/1/80-वे० म०]

MINISTRY OF LABOUR

(Tribunal for Working Journalists)

Shramik Shiksha Bhavan,

L. B. Shastri Marg,

Kurla, Bombay-400070

NOTIFICATION

Bombay, the 15th February, 1980

S.O. 215(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13 AA of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955, (45 of 1955) the Central Government by Notification S.O. 82 (E) dated 9th February, 1979 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section 3, Subsection (ii) dated 9th February, 1979 constituted a Tribunal consisting of Shri D. G. Palekar, retired Judge of the Supreme Court, for the purpose of fixing and revising rates of wages in respect of working journalists. The Tribunal has now framed tentative proposals on wage rates and allied matters in respect of working journalists which are being published for general information as appendix B to this notification. Those interested in forwarding their comments should send the same in five copies to the Administrative Officer of the Tribunal, Shramik Shiksha Bhavan, L. B. Shastri Marg, Kurla, Bombay-400070 not later than 31st March, 1980.

APPENDIX 'B'

TENTATIVE PROPOSALS OF THE TRIBUNAL FOR WORKING JOURNALISTS

SECTION I

Preliminary :

1. Definitions :

The expressions 'Newspaper Establishment', 'Working Journalist' and 'Non-Journalist Newspaper Employee' shall have the same meaning as assigned to them in the Working Jounalists and other Newspaper Employees, (Conditions of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955, hereinafter called the 'Act'. For the purpose of these proposals 'Newspaper Establishment' shall not include a News Agency.

'Accounting Year' used with reference to a particular year, shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is a calendar year, mean that calendar year and shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is different from the calendar year, mean that accounting year of the establishment of which more than half falls in the particular year.

Example : If the accounting year of a newspaper establishment starts from April 1st, reference to the accounting year 1977 in the succeeding paragraphs shall be construed as reference to the accounting year 1977-78 of such establishment. On the other hand, if the accounting year of a newspaper establishment starts from 1st October, reference to the accounting year 1977 in these paragraphs will be construed as reference to the accounting year 1976-77 of that establishment.

In the case of a newspaper establishment where the accounting year starts from 1st July, the accounting year would be the year in which the first six months fall.

'Category' means any of the kind of employees mentioned under the occupational groups set out in paragraph 14.

'Gross Revenue' of a newspaper establishment means revenues derived by the establishment from all sources of its newpaper business, including circulation of and advertisements in its newspaper or newspapers, and also includes income from the assets acquired and investments made out of funds earned in the newspaper business.

Revenue in respect of circulation and advertisement shall be taken to be the amount arrived at after deducting the commission actually allowed to the extent to which the amount of commission so allowed is reasonable. Reasonable commission is one which is finally accepted by the Income Tax authorities in the case of a particular newspaper establishment. In cases where no such final decision of the Income Tax authorities is available, the circulation commission shall be 28 per cent and the advertisement commission shall be 15 per cent of the respective revenues.

SECTION II

Classification of Newspaper Establishment

2. For the purpose of fixation of wages of Working Journalists, newspaper establishments shall be classified in the manner hereinafter provided.

3. Classification of newspaper establishments should be based on the average gross revenues of three accounting years, 1977, 1978 and 1979.

4. In the case of a newspaper establishment completing two out of the aforesaid 3 accounting years, its classification should be determined on the basis of its average gross revenue for these 2 years.

5. In the case of a newspaper establishment which has completed only one year of the said accounting years, its classification should be determined on the basis of its gross revenues for that year.

6. A new newspaper establishment i.e., a newspaper establishment to which the provisions of paras 3, 4 and 5 do not, in terms, apply, is liable to the classified after the completion of its first accounting year on the basis of its gross revenue for that year.

7. Notwithstanding anything said in paras 4 to 6 above, a newspaper establishment which is classified on the basis of 2 accounting years shall be placed one class lower than the class in which it is liable to be placed and a newspaper establishment which is classified on the basis of one accounting year, two classes lower. In either case, it shall not be lower than Class VII.

8. Where a classified newspaper establishment starts one of its old newspapers from a new centre where it has no other newspaper publication shall, so far as the new centre is concerned, be placed for the first 2 accounting years one class below the class in which it would be liable to be placed on the basis on its total gross revenue ; and a classified newspaper establishment which starts a new newspaper from a centre where it has no other newspaper publication, shall be similarly liable to be placed in a lower class for three accounting years at the new centre. In either case it shall not be placed lower than class VII, so far as the new centre is concerned.

9. The classification determine in accordance with the provisions of paragraphs 3 to 8 shall continue until the newspaper establishment is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 13.

10 If the ownership of the newspaper establishment is transferred by one person to another, the provisions of paragraphs 2 to 9 shall apply to such newspaper establishment as if the gross revenue of the newspaper establishment for the relevant accounting years under the previous owner were its revenues for those years under the new owner.

11. Newspaper establishments shall, subject to the proviso, be classified under the following 9 classes on the basis of their gross revenues :—

Class	Gross Revenue
1	2
IB	Rs. 25 crores and above and less than Rs. 50 crores.
IA	Rs. 10 crores and above and less than Rs. 25 crores.
I	Rs. 2 crores and above and less than Rs. 10 crores.
II	Rs. 1 crore and above and less than Rs. 2 crores.
III	Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 crore.
IV	Rs. 30 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs.
V	Rs. 15 lakhs and above and less than Rs. 30 lakhs.
VI	Rs. 5 lakhs and above and less than Rs. 15 lakhs.
VII	Less than Rs. 5 lakhs.

Provided, however, where by reason of the 2nd Wage Board for Working Journalists prescribing different ranges of the minimum and maximum gross revenue for classes IV, V and VI, the Working Journalists of a Newspaper Establishment were, immediately before the operation of these recommendations, placed in a class higher than its Non-Journalist Employees, the former will continue in the higher class till, as a result of changes in the gross revenue of the Newspaper Establishment at the time of its classification or reclassification, as the case may be, the class distinction is eliminated.

12. If the advertisement revenue derived by a newspaper establishment other than one falling in class VII is less than 40 per cent of its gross revenue reduced by advertisement revenue, it should be placed in the class next below that in which it would fall on the basis of its gross revenue.

Reclassification :

13. It shall be open either to the Employer or to the Employees to seek a reclassification of a newspaper establishment at any time after the accounting year 1981 on the basis of the average gross revenues of the 3 immediately preceding accounting years, provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of 3 consecutive accounting years.

SECTION III

Grouping of Working Journalists :—

14. I. Full-time employees :

(a) In newspaper establishments of classes other than Classes V, VI & VII.

Group I : Editor.

Group IA : Resident Editor, Associate Editor, Joint Editor, Deputy Editor.

Group IB : Assistant Editor, Leader Writer, Chief of News Bureau, News Editor, Special Correspondent.

Group 2 : Deputy or Assistant News Editor, Chief Reporter, Chief Sub-Editor, Sports Editor, Commercial Editor, Film Editor, Magazine Editor, Cartoonist, Chief of Statistical or Research Division, Chief News Photographer, Chief Librarian, Chief Index Assistant, Chief Calligraphist, Chief Artist, Principal Correspondent in Bombay, Madras, Delhi and Calcutta accredited to the State Government, Correspondent accredited to the Central Government, other than a Special Correspondent, and other sectional or batch heads, not placed in a higest category.

Group 2A : Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor, Deputy Chief Reporter or Senior Reporter, Senior Correspondent, Senior Calligraphist, Senior Artist, Senior Librarian and Senior Index Assistant.

Group 3 : Sub-Editor, Reporter, Correspondent, News Photographer, Artist, Calligraphist, Librarian, Index Assistant, Chief Proof Reader.

Group 4 : Proof Reader and all Working Journalists other than those mentioned under any other group unless placed higher by the establishment.

(b) In newspaper establishments of classes V, VI, and VII :—

Group 1 : Editor.

Group 1B : Assistant Editor, Leader Writer, News Editor, Special Correspondent.

Group 2 : Chief Sub-Editor, Chief Reporter, Sports Editor, Commercial Editor, Cartoonist, Chief of Statistical Division, Chief of Research Division, Principal Correspondent in Bombay, Madras, Delhi and Calcutta, accredited to the State Government and Correspondent accredited to the Central Government other than a special correspondent.

Group 3 : Sub-Editor, Reporter, Correspondent, News Photographer, Calligraphist, Artist, Librarian, Index Assistant and Chief Proof Reader.

Group 4 : Proof Reader and all Working Journalists other than those mentioned under any other group unless placed higher by the establishment.

(For functional definitions of various categories of Working Journalists, see Schedule I.)

II. **Part Time Employees :**

'Part Time Correspondent' means a person who is a part time employee of a newspaper establishment and whose principal avocation is that of journalism.

15. It is not obligatory for a newspaper establishment to employ any or all of the categories mentioned in the groups above. Some of the functions may be combined, in which case the employee shall be deemed to belong to the highest category of which functions are normally performed by him.

16. The principal duties performed by an employee should determine the category of such employee ; neither designation nor casual or occasional work should be taken into account for such categorisation.

SECTION IV

Remuneration :

17. Wages, Scales and Grades :

Working Journalists of different groups employed in different classes of newspaper establishments should be paid basic pay per mensem in accordance with the scales as shown in Table I attached hereto.

Dearness Allowance :

18. The existing fixed Dearness Allowance, Variable Dearness Allowance and Basic wages including Interim Relief have been pegged at the All India Average Consumer Price Index Number 390 (1949=100). The new Variable Dearness Allowance will be calculated and paid to all employees from the index Number 390 onwards. But, in doing so, the equivalent number, namely, 321 (Base 1960=100) as computed by the Labour Bureau, and the series with Base 1960=100 will be followed as the old series 1949=100 has been discontinued. The Dearness Allowance from the Index Number 321 will

vary with every rise or fall of 6 points in the Consumer Price Index Number of 1960 series. The Dearness Allowance will also vary with wage slabs as illustrated in Table II attached hereto.

Part-time Correspondents:

19. Every part-time correspondent shall be paid not less than 1/3rd of the basic wage (Basic pay+D.A) applicable to a full time correspondent at similar level. In addition, payment should be made to him on column basis, the rate to be settled by mutual negotiations. Provided that no newspaper establishment shall put any restriction on a part-time correspondent that he will not work for more than one newspaper unless he is appointed for full time.

SECTION V

Other Allowance :

20. (a) House Rent Allowance : House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid to each employees.

(b) Night Shift Allowance :—Night Shift Allowance will be paid by Newspaper Establishment at the rates as shown in Table IV.

(c) Compensatory Allowance :—Compensatory Allowance will be paid by all Newspaper Establishments at the rates mentioned in Table V.

SECTION VI

21. Fitment Rules :

(1) For the purpose of fitment rules an "employee" means a "Working Journalist".

(2) The "Present Emoluments" of an employee shall mean his Basic Pay, Fixed Dearness Allowance, Variable Dearness Allowance, at the Consumer Price Index Number 390 (base 1949=100) and Interim Relief (by way of ad-hoc payment) applicable individually, granted in pursuance of the Notification dated 1st April, 1977, issued by the Government of India, Ministry of Labour, in respect of Working Journalists.

(3) The "Additional Emoluments" of an employee shall mean, emoluments other than the 'Present Emoluments" referred to in rule (2) granted by Newspaper Establishments either voluntarily, or as a result of collective bargaining, agreement or award in Basic wage, Dearness Allowance or Interim Relief, but shall not include any other allowance or monetary benefit or money value of any other benefit it in kind.

(4) The "Revised Pay Scale" shall mean the pay scale applicable to an employee as per these recommendations.

(5) The revised pay scales shall come into force with effect from 1st January, 1978, referred to hereinafter as the "relevant date".

(6) Every employee with his "Present Emoluments" will be brought on to the revised pay scale with effect from the relevant date and fitted into that pay scale at the appropriate stage, either at the initial new minimum or higher than the initial in the pay scale, as the case may be.

(7) In case the present emoluments of an employee are higher than the minimum of the revised pay scales, but not at the level with any stage in the revised pay scale, he will be stepped up to the immediate next level.

(8) In addition every employee shall be given one increment in the revised pay scale for completion of every five years' service in the old pay scale prior to the relevant date. The total number of increments shall not be more than three.

Provided that :—

(i) no employee shall get more than the maximum of the revised pay scale.

(ii) in no case should the total of the present emoluments be reduced as a result of fitment or operation of the provisions contained in these recommendations; the balance, if any, may be treated as Personal Pay.

(9) These recommendations will not affect the additional emoluments referred to in Rule (3).

(10) Within six months from the date of publication of Government Notification enforcing these recommendations every employee shall exercise his option either to retain his old pay scale and "Present emoluments" or to come on the revised pay scale with effect from the relevant date.

(11) The "Present Emoluments" together with Variable Dearness Allowance as per the last Wage Board will continue to be paid till such time as the option is exercised by an employee under rule (10).

(12) When a neswaper establishment is reclassified under Para 13 above, the employee should be fitted into the revised pay scale appropriate to that class, When the basic pay does not coincide with a stage in the revised pay scale of that class the employee should be fitted at the next higher stage, when the classification goes up and at the next lower stage, when the classification goes down. In the latter case the higher existing basic pay should be protected and the difference between the existing basic pay and the pay to which he is so fitted may be treated as personal pay or it may be absorbed in future increments.

(13) The fitment of an employee in the revised pay scale will not affect his normal date of increment.

22. The Interim rates of wages fixed by Government in exercise of powers conferred by Sub-Section I of Section 13A of the Act shall cease to be in operation six months after the date of the order of the Central Government under Section 12 coming into operation or the option exercised as per Para 21(10) above whichever is earlier.

23. A Working Journalist, during his apprenticeship period of two years, shall be paid a stipend of 60 per cent of the Basic Pay and allowances applicable to the post for which he is being trained.

24. Subject to the provisions of the standing orders applicable to a particular newspaper establishment, a Working Journalist may be employed as a probationer for a period not exceeding one year during which, he shall be paid basic pay of not less than the minimum of the scale applicable to the class of establishment and group in which he is a probationer alongwith the allowances attached to the post. In the case of a Working Journalist acting as a probationer in a higher post if he is drawing more than the minimum pay of the higher post, then, he should get 10 per cent of the minimum pay of the higher post in addition to his salary of the lower post during the probationery period.

Date of Operation :

25. These proposals should be operative in respect of each newspaper establishment from the relevant date mentioned in para 21(5).

Payments of Arrears :

26. The arrears payable, if any, as a result of retrospective operation provided in para 21(5) should be paid in not more than two instalments, not later than nine months from the date of the publication of the order of the Central Government under Section 12 of the Act.

News Agencies :

The revised pay scales introduced by Samachar after the merger of four news agencies from 1-7-1976 have undoubtedly

benefited all the employees of the four news agencies. The rise has been quite substantial. The several allowances, benefits and facilities allowed by the Samachar have increased the total emoluments. These items of income are not at present available to the staff of some top newspaper establishments. Moreover from 1-4-1977, the Samachar sanctioned to its employees substantial interim relief granted by the predecessor Wage Board. The Samachar was disbanded on 13-4-1978 and thereafter the news agencies were relegated to the status quo ante. Realising that the news agencies would not be able to bear the increased burden created by the Samachar, Government granted rehabilitation loans to all the agencies and further grants-in-aid for 6 years till 1984. The rehabilitation process is now in operation and a clear picture of their financial capacity is not available in view of the fact that they have only recently started refunctioning. Therefore, no revision of wages is possible at the present stage. All the news agencies are paying the interim relief from 1-4-1977. The same should be continued as personal pay.

TABLE I

Class of Establishment	Group of employees	Scale	Years
IB	1	No scale	
(Rs. 25 crores and above and less than Rs. 50 crores)	1A	Rs. 1800-150-2400-175-2925-200-3525 (4) (3) (3)	(10)
	1B	Rs. 1550-120-2030-140-2590-160-3070 (4) (4) (3)	(11)
	2	Rs. 1400-90-1760-100-2160-130-2550-150-2850 (4) (4) (3) (2)	(13)
	2A	Rs. 1100-75-1475-90-1925-100-2225-135-2630 (5) (5) (3) (3)	(16)
	3	Rs. 1000-65-1325-75-1700-90-2060-105-2480 (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	Rs. 800-40-1000-45-1225-55-1445-65-1705 (5) (5) (4) (4)	(18)
IA	1	No scale	
(Rs. 10 crores and above and less than Rs. 25 crores)	1A	Rs. 1700-140-2260-165-2755-185-3310 (4) (3) (3)	(10)
	1B	Rs. 1450-110-1890-135-2430-155-2895 (4) (4) (3)	(11)
	2	Rs. 1350-85-1690-90-2050-125-2425-145-2715 (4) (4) (3) (2)	(13)
	2A	Rs. 1050-70-1400-85-1825-95-2110-130-2500 (5) (5) (3) (3)	(16)
	3	Rs. 950-60-1250-70-1600-85-1940-100-2340 (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	Rs. 750-35-925-40-1125-50-1325-60-1565 (5) (5) (4) (4)	(18)
I	1	No scale	
(Rs. 2 crores and above and less than Rs. 10 crores)	1A	Rs. 1600-125-2100-150-2550-180-3090 (4) (3) (3)	(10)
	1B	Rs. 1350-100-1750-125-2250-150-2700 (4) (4) (3)	(11)
	2	Rs. 1250-80-1570-85-1910-125-2285-140-2565 (4) (4) (3) (2)	(13)
	2A	Rs. 950-60-1250-80-1650-90-1920-125-2295 (5) (5) (3) (3)	(16)
	3	Rs. 900-55-1175-65-1500-80-1820-95-2200 (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	Rs. 700-30-850-35-1025-45-1205-55-1425 (5) (5) (4) (4)	(18)
II	1	Not less than Rs. 2,700	
(Rs. 1 crore and above and less than Rs. 2 crores)	1A	Rs. 1400-100-1800-125-2175-150-2625 (4) (3) (3)	(10)
	1B	Rs. 1335-95-1715-120-2195-140-2615 (4) (4) (3)	(11)
	2	Rs. 1200-75-1500-80-1820-100-2120-130-2380 (4) (4) (3) (2)	(13)
	2A	Rs. 900-55-1175-75-1550-85-1805-120-2165 (5) (5) (3) (3)	(16)
	3	Rs. 850-50-1100-60-1400-75-1700-90-2060 (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	Rs. 650-30-800-35-975-45-1155-50-1355 (5) (5) (4) (4)	(18)

Class of Establishment	Group of employees	Scale	Years
III	1	Not less than Rs. 2,400	
(Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 crore)	1A	Rs. 1250-90-1610-100-1910-125-2285 (4) (3) (3)	(10)
	1B	Rs. 1200-70-1480-80-1800-100-2100 (4) (4) (3)	(11)
	2	Rs. 1050-65-1310-70-1590-80-1830-90-2010 (4) (4) (3) (2)	(13)
	2A	Rs. 850-50-1100-60-1400-70-1610-80-1850 (5) (5) (3) (3)	(16)
	3	Rs. 800-35-975-45-1200-55-1420-65-1680 (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	Rs. 600-25-725-30-875-35-1015-40-1175 (5) (5) (4) (4)	(18)
IV	1	Not less than Rs. 2,200	
(Rs 30 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs)	1A	Rs. 1100-80-1420-90-1690-110-2020 (4) (3) (3)	(10)
	1B	Rs. 1050-50-1250-60-1490-70-1700 (4) (4) (3)	(11)
	2	Rs. 900-45-1080-50-1280-55-1445-70-1585 (4) (4) (3) (2)	(13)
	2A	Rs. 750-35-925-45-1150-55-1315-65-1510 (5) (5) (3) (3)	(16)
	3	Rs. 615-30-765-40-965-55-1185-60-1425 (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	Rs. 550-25-675-30-825-35-965-40-1125 (5) (5) (4) (4)	(18)
V	1	Not less than Rs. 1,500	
(Rs. 15 lakhs and above and less than Rs. 30 lakhs)	1B	Rs. 900-45-1080-50-1280-55-1445 (4) (4) (3)	(11)
	2	Rs. 825-40-985-45-1165-50-1315-55-1425 (4) (4) (3) (2)	(13)
	3	Rs. 540-25-665-30-815-35-955-40-1115 (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	Rs. 500-20-600-25-725-30-845-35-965 (5) (5) (4) (4)	(18)
VI	1	Not less than Rs. 1,200/-	
(Rs. 5 lakhs and above and less than Rs. 15 lakhs)	1B	Rs. 700-40-860-45-1040-50-1190 (4) (4) (3)	(11)
	2	Rs. 625-35-765-40-925-45-1060-50-1160 (4) (4) (3) (2)	(13)
	3	Rs. 475-20-575-25-700-30-820-35-960 (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	Rs. 450-20-550-25-675-30-795-35-935 (5) (5) (4) (4)	(18)
VII	1	Not less than Rs. 1,150/-	
(Less than Rs. 5 lakhs)	1B	Rs. 650-35-790-40-950-45-1085 (4) (4) (3)	(11)
	2	Rs. 540-30-660-35-800-40-920-45-1010 (2) (4) (3) (2)	(13)
	3	Rs. 425-20-525-25-650-30-770-35-910 (5) (5) (4) (4)	(18)
	4	Rs. 400-15-475-20-575-25-675-30-795 (5) (5) (4) (4)	(18)

TABLE II

Rates of Dearness Allowance

Basic Pay Slabs	Amount to be paid for rise in index of six points	Dearness Allowance to be paid when index reaches					
		1960-100	327	333	339	345	351	357	363
	Rs. Ps.		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Upto Rs. 300/-	8.00		8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00
Rs. 301/- to Rs. 350/-	8.40		8.40	16.80	25.20	33.60	42.00	50.40	58 80
Rs. 351/- to Rs. 400/-	9 00		9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00
Rs. 401 to Rs. 450/-	10 00		10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
Rs. 451 to Rs. 500/-	11.00		11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00
Rs. 501 to Rs. 550/-	12.00		12.00	24.00	36.00	48.00	60.00	72.00	84.00
Rs. 551 to Rs. 700/-	13.00		13.00	26.00	39.00	52.00	65.00	78.00	91.00
Rs. 701 to Rs. 1000/-	14.00		14.00	28.00	42.00	56.00	70.00	84.00	98.00
Rs. 1001 to Rs. 1150/-	15.00		15.00	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00	105.00
Rs. 1151 to Rs. 1300/-	16.00		16.00	32.00	48.00	64 00	80.00	96.00	112.00
Rs. 1301 to Rs. 1600/-	18.00		18.00	36.00	54.00	72.00	90 00	108.00	126.00
Rs. 1601 to Rs. 2000/-	19.00		19.00	38.00	57.00	76.00	95.00	114.00	133.00
Rs. 2001 to Rs. 2500/-	21.00		21.00	42.00	63.00	84.00	105.00	126.00	147.00
Rs. 2501 to Rs. 3000/- and above	22.00		22.00	44 00	66 00	88.00	110.00	132.00	154.00

TABLE III

Rates of House Rent Allowance

1.	2.	3.	4.	5.
Basic pay slabs	Metropolitan Cities (Bombay, Calcutta, Delhi, Madras)	State Capitals Other than those mentioned in Column 2	District Head Quarters Other than those mentioned in column 3	Other Places
Upto Rs. 300/-	15% of pay with a maximum of Rs. 45/-	12½% of pay with a maximum of Rs. 37.50	10% of pay with a maximum of Rs. 30/-	7½% of pay with a maximum of Rs. 22.50
Rs. 301 to Rs. 500	15% Minimum Rs. 45/- Maximum Rs. 75/-	12½% Minimum Rs, 37.50 Maximum Rs. 62.50	10% Minimum Rs. 30/- Maximum Rs. 50/-	7½% Minimum Rs. 22.50 Maximum Rs. 37.50
Rs. 501 to Rs. 600	15% Minimum Rs. 75/- Maximum Rs. 90/-	12½% Minimum Rs. 62 50 Maximum Rs. 75.00	10% Minimum Rs. 50/- Maximum Rs. 60/-	7½% Minimum Rs. 37.50 Maximum Rs. 45.00
Rs. 601 to Rs. 800	15% Minimum Rs. 90/- Maximum Rs. 120/-	12½% Minimum Rs. 75.00 Maximum Rs. 100/-	10% Minimum Rs. 60/- Maximum Rs. 80/-	7½% Minimum Rs. 45.00 Maximum Rs. 60/-
Rs. 801 to Rs. 1000	15% Minimum Rs. 120/- Maximum Rs. 150/-	12½% Minimum Rs. 100/- Maximum Rs. 125/-	10% Minimum Rs. 80/- Maximum Rs. 100/-	7½% Minimum Rs. 60/- Maximum Rs. 75/-
Rs. 1001 to Rs. 2000	15% Minimum Rs. 150/- Maximum Rs. 300/-	12½% Minimum Rs. 125/- Maximum Rs. 250/-	10% Minimum Rs. 100/- Maximum Rs. 200/-	7½% Minimum Rs. 75/- Maximum Rs. 150/-
Rs. 2001 to Rs.2500	15% Minimum Rs. 300/- Maximum Rs. 375/-	12½% Minimum Rs. 250/- Maximum Rs. 312.50	10% Minimum Rs. 200/- Maximum Rs. 250/-	7½% Minimum Rs. 150/- Maximum Rs. 187.50
Rs. 2501 and Rs. 3000 and and above	15% Minimum Rs. 375/- Maximum Rs. 450/-	12½% Minimum Rs. 312.50 Maximum Rs. 375/-	10% Minimum Rs. 250/- Maximum Rs. 300/-	7½% Minimum Rs. 187.50 Maximum Rs. 225/-

TABLE IV

RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

Night Shift allowance will be paid as follows:—

Newspaper Establishments

Class IB and IA	—	Rs. 4/- per night
Class I and II	—	Rs. 3/- per night
Class III and IV	—	Rs. 2/- per night

TABLE V

RATES OF COMPENSATORY ALLOWANCE

Places	Basic Pay Slabs	Compensatory Allowance
1. Metropolitan cities (Bombay, Calcutta, Madras & Delhi).	Rs. 300/- and above	6% of pay subject to a Maximum of Rs. 75/-
2. State Capitals (excluding those specified in 1 above)	Below Rs. 330/-	5% of pay
	Rs. 330/- and above	4½% of pay subject to a minimum of Rs. 16.45 and a maximum of Rs. 50 p.m.
3. District Towns (other than State Capitals)	Below Rs. 750/-	3.5% of pay subject to maximum of Rs. 10 p.m
	Rs. 750/- and above.	Amount by which pay falls short of Rs. 759.

SCHEDULE I

Group 1

"Editor" is a person who directs and supervises the editorial side of a newspaper.

Group 1A

"Resident Editor" is a person who performs the functions of an Editor of a newspaper at a centre other than the one from which the newspaper was originally published.

"Associate Editor" or "Joint Editor" or "Deputy Editor" is a person who generally assists the Editor in the performance of the work of the Editor.

Group 1B

"Assistant Editor" is a person who regularly assists the Editor in the discharge of his duties generally in relation to comments and opinions and writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism.

"Leader Writer" is a person who regularly writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism.

"News Editor" is a person who co-ordinates and supervises the work of the news department and is responsible for the news content of all the editions of a newspaper

"Chief of Bureau" is a person who supervises the work of the news bureau and assigns work to the Bureau members.

"Special Correspondent" is a person whose duties regularly include reporting and interpreting all news of Parliamentary, political and general importance as an accredited correspondent or otherwise at the headquarters of the Central Government or at a foreign centre or who regularly performs similar functions in more than one State or at any other place where he is assigned as such.

Group 2

"Deputy or Assistant News Editor" is a person who assists the news editor in the discharge of his duties generally and/or is in charge of bringing out the city edition.

"Chief Reporter" is a person who is in charge of all reporters at a centre of publication, supervises their work and also regularly reports and interprets all news of legislative, political or general importance.

"Chief Sub-Editor" is a person who takes charge of a shift at the news desk, allocates and supervises the work of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of news in the paper or in a particular edition or part of it.

"Sports Editor" is a person in charge of the sports section of a newspaper, deals with news and views on sports and allied activties, allocates and supervises the work of one or more reporters and of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of sports news.

"Commercial Editor" is a person who deals with news and views bearing on commerce, finance, trade and industry, and comments on them and allocates and supervises the work of one or more reporters.

"Film Editors" is a person who deals with news and views bearing on films and stages and is in charge of specified columns or page on stage and screen and supervises the work of one or more working journalists.

"Magazine Editor" is a person who deals with news and views bearing on literary or entertainment items of news value and is in charge of specified columns or page in respect of literary or such other allied matters and supervises the work of two or more working journalists.

"Cartoonist" is a person who comments upon news and events through cartoons and caricatures.

"Chief or Statistical or Research Division" is a person in charge of statistical or research divisions which deals with matters bearing on commerce, finance, trade and industry in a financial paper and supervises the work of one or more working journalists.

"Chief News Photographer" is a person who allocates and supervises the work of one or more news photographer.

"Chief Librarian" or "Chief Index Assistant" or "Chief Calligraphist" or "Chief Artist" is a person who supervises the work of one or more librarians, index assistants, calligraphists and artists respectively.

Group 2A

"Deputy Chief Sub-Editor" or "Senior Sub-Editor" is a person who regularly assists the Chief Sub-Editor in the discharge of his duties and acts in his place in his absence.

"Dy. Chief Reporter" or "Senior Reporter" is a person who assists the Chief Reporter and acts in his place in his absence.

"Senior Correspondent" is a person other than special and principal correspondents and his duties include reporting on important news at the centre of publication or at any important centre other than the centre of publication and has put in service of not less than five years.

"Senior Calligraphist", "Senior Artist", "Senior Librarian" and "Senior Index Assistant" are persons who assist the Chief Calligraphist, Chief Artist, Chief Librarian and Chief Index Assstant respectively and have put in service of not less than five years.

Group 3

"Sub-Editor" is a person who receives, selects, shortens, summarises, elaborates, translates, edits and headlines news items of all descriptions and may do some or all of these functions.

"Reporter" is a person who gathers and presents news at a particular centre.

"Correspondent" is a person who gathers and dispatches by wire, post or any other means, news from any centre.

"News Photographer" is a person who covers news events of public interest through photographs.

"Artist" is a person who prepares for publication drawing, layouts, maps, graphs or other similar embellishments, illustrations of any kind or of creative art. He may do some or all of these functions.

"Calligraphist" is an artist who performs journalistic work and also calligraphs matters.

"Librarian" or "Index Assistant" is a person who prepares and maintains records relating to news and views which are used as background or filled out for current stories. Persons not performing any of these functions shall not be covered.

"Chief Proof Reader" is one who allocates and supervises the work of one or more proof readers and is in charge of a shift.

Group 4

"Proof Reader" is a person who checks up printed matter of proof with edited copy to ensure strict confromity of the former with the latter. Factual discrepancies, slips of spelling, mistakes of grammar and syntax may also be discovered by him and he either corrects or gets them corrected.

Bombay :

Dated : 15th February, 1980.

[No. V-24040/1/80-WB]

बम्बई, 15 फरवरी, 1980

का० आ० 216(अ):—श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13क्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 9 फरवरी, 1979 में प्रकाशित अधिसूचना का० आ० 81 (ई) दिनांक 9 फरवरी, 1979 द्वारा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों की मजदूरी दरों के निर्धारण और पुनरीक्षण के प्रयोजन हेतु एक अधिकरण गठित किया, जिसमें श्री डी० जी० पालेकर, सर्वोच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त जज शामिल हैं। इस अधिकरण ने अब गैर श्रमजीवी समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी-दरों और संबद्ध मामलों के संबंध में अनन्तिम प्रस्ताव तैयार किए हैं जो इस अधिसूचना के परिशिष्ट क के रूप में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं। जो अपनी टिप्पणियां भेजने के इच्छुक हों, वे उन्हें पांच प्रतियों में अधिकरण के प्रशासन अधिकारी, श्रमिक शिक्षा भवन, एल० बी० शास्त्री मार्ग, कुर्ला, बम्बई-400070 को 31 मार्च, 1980 तक अवश्य भेज दें।

परिशिष्ट 'क'

पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारी अधिकरण के अंतरिम प्रस्ताव

भाग I

प्रारम्भिक

1. **परिभाषा**

'समाचारपत्र प्रतिष्ठान', 'श्रमजीवी पत्रकार' और 'पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारी' शब्दों का वही अर्थ होगा जो श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955, जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है, में दिया गया है। इन प्रस्तावों के प्रयोजन के लिए 'समाचार प्रतिष्ठान' में समाचार एजेन्सी शामिल नहीं होगी। उस समाचारपत्र पत्र प्रतिष्ठान, के मामले में जिसका लेखा वर्ष कलैण्डर वर्ष है 'लेखा वर्ष' जो विशेष वर्ष के सन्दर्भ में प्रयुक्त होता है, से अभिप्राय वह कलैण्डर वर्ष होगा और उस समाचार पत्र प्रतिष्ठान के संबंध में, जिसका लेखा वर्ष कलैण्डर वर्ष से भिन्न है, लेखा वर्ष से अभिप्रायः प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष से है, जिसका आधे से ज्यादा भाग उस विशेष वर्ष में आता है।

उदाहरण यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष पहली अप्रैल से शुरू होता है, तो अनुवर्ती पैराग्राफों में लेखावर्ष 1977 का अर्थ ऐसे प्रतिष्ठान के लेखावर्ष 1977-78 से लगाया जाएगा। दूसरी ओर, यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखावर्ष पहली अक्तूबर से शुरू होता है, तो इन पैराग्राफों में लेखा वर्ष 1977 का अर्थ उस प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1976-77 से लगाया जाएगा।

उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान के बारे में, जिसका लेखा वर्ष पहली जुलाई से शुरू होता है, लेखा वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें प्रथम छः मास आते हैं।

'वर्ग' से अभिप्राय पैराग्राफ 14 में निर्दिष्ट व्यावसायिक ग्रुपों के अन्तर्गत उल्लिखित किसी भी प्रकार के कर्मचारी से है।

किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान की 'सकल आमदनी' से अभिप्राय प्रतिष्ठान द्वारा अपने समाचारपत्र व्यापार के सभी स्रोतों से प्राप्त आमदनी से है, जिसमें इसके समाचारपत्र या समाचारपत्रों का परिचालन और उनमें दिए गए विज्ञापन भी शामिल हैं। इसमें समाचारपत्र व्यापार में प्राप्त आस्तियां और अर्जित राकश में से किए गए निवेशों से आमदनी भी शामिल है।

परिचालन और विज्ञापन के संबंध में आमदनी से तात्पर्य उस राशि से होगा जो वस्तुतः यथोचित कमीशन निकाल देने के पश्चात् प्राप्त होगी। यथोचित कमीशन वह कमीशन है, जो अन्तः आयकर प्राधिकारियों द्वारा किसी विशेष समाचारपत्र प्रतिष्ठान के बारे में स्वीकार किया गया हो। उन मामलों में जहां आयकर प्राधिकारियों का ऐसा अन्तिम निर्णय उपलब्ध न हो वहां परिचालन कमीशन आमदनी का 28 प्रतिशत और विज्ञापन कमीशन 15 प्रतिशत होगा।

भाग II

समाचार पत्र प्रतिष्ठान का वर्गीकरण

2. पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों की मजदूरी-दरों को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से किया जाएगा ।

3. समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण 1977-1978 और 1979 के तीन लेखावर्षों की औसत सकल आमदनी पर आधारित होगा ।

4. उन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिन्होंने उपर्युक्त तीन लेखा-वर्षों में से दो लेखावर्ष पूरे कर लिए हैं, उसका वर्गीकरण इन दो वर्षों की औसत सकल आमदनी के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

5. जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान ने उक्त लेखा-वर्षों का केवल एक ही लेखा-वर्ष पूरा किया है, उसका वर्गीकरण उस वर्ष की सकल आमदनी के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

6. किसी नए समाचारपत्र प्रतिष्ठान, अर्थात् ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान का जिसे पैरा 3, 4, और 5 के उपबन्ध लागू नहीं होते, वर्गीकरण उसके प्रथम लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उस वर्ष की सकल आमदनी के आधार पर होगा ।

7. उपर्युक्त पैरा 4 से 6 तक में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी समाचारपत्र प्रतिष्ठान को, जिसका वर्गीकरण दो लेखा-वर्षों के आधार पर किया जाता है, उस श्रेणी की अपेक्षा जिसमें उसे रखा जाएगा, एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा और जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान का वर्गीकरण एक लेखा-वर्ष के आधार पर किया जाता है, उसे दो श्रेणियां नीचे रखा जाएगा किसी भी मामले में उसे श्रेणी VII से नीचे नहीं रखा जाएगा ।

8. यदि कोई वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान अपने पुराने समाचार-पत्रों में से किसी एक समाचारपत्र को उस नए केन्द्र से शुरू करता है, जहां उसका अन्य कोई समाचारपत्र प्रकाशित नहीं होता, तो जहां तक नए केन्द्र का संबंध है, उस समाचारपत्र को प्रथम दो लेखा-वर्षों के लिए उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा, जिसमें उसे कुल सकल आमदनी के आधार पर रखा जाता और वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान को, जो ऐसे केन्द्र से कोई नया समाचार पत्र शुरू करता है जहां उसका अन्य कोई समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं होता । नये केन्द्र में तीन लेखा-वर्षों के लिए वैसे ही नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा । जहां तक नए केन्द्र का संबंध है, किसी भी मामले में उसे श्रेणी VII से नीचे नहीं रखा जाएगा ।

9. पैरा-ग्राफ 3 से 8 तक के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित वर्गीकरण उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि पैराग्राफ 13 के उपबन्धों के अनुसार समाचारपत्र प्रतिष्ठान का पुनर्वर्गीकरण नहीं हो जाता ।

10. यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, तो पैराग्राफ 2 से 9 के उपबन्ध ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को लागू होंगे—मानों पिछले स्वामी के अधीन संगत लेखा-वर्षों के संबंध में समाचारपत्र प्रतिष्ठान की सकल आमदनी नए स्वामी के अधीन उन वर्षों की आमदनी हो ।

11. समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को उनकी सकल आमदनी के आधार पर निम्नलिखित 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:—

श्रेणी	सकल आमदनी
I-बी	25 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 50 करोड़ रुपये से कम ।
I-ए	10 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 25 करोड़ रुपये से कम
I	2 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम ।
II	1 करोड़ रुपया और उससे अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम ।
III	50 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से कम ।
IV	30 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 50 लाख रुपये से कम ।
V	15 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 30 लाख रुपये से कम ।
VI	5 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 15 लाख रुपये से कम ।
VII	5 लाख रुपये से कम ।

12. यदि उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान की जो श्रेणी VII में नहीं आता । विज्ञापन आमदनी इसकी सकल आमदनी से 40 प्रतिशत से कम है, तो उसे उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाए, जिसमें वह अपनी सकल आमदनी के आधार पर आएगा ।

पुनर्वर्गीकरण :

13. नियोजक या कर्मचारी दोनों में से प्रत्येक को यह छूट है कि वह लेखा-वर्ष 1981 के पश्चात् किसी भी समय पिछले तीन लेखा-वर्षों की औसत सकल आमदनी के आधार पर समाचारपत्र प्रतिष्ठान का पुनर्वर्गीकरण कर सकता है । बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण तीन लगातार लेखा-वर्षों की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं किया जाना चाहिए ।

भाग III

14. गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों का वर्गीकरण

I प्रशासनिक कर्मचारी :

(क) वर्ग V, VI और VII से भिन्न समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के लिए ।

वर्ग 1 : महाप्रबन्धक, प्रबन्धक और सचिव ।

वर्ग 2 : विभागीय प्रबन्धक (जो परिचालन, विज्ञापन विभागों, कार्मिकों आदि के प्रभारी हैं), मुख्य लेखाकार (लेखाकार), जन संपर्क अधिकारी (I बी, I ए, I और II के समाचारपत्र वर्ग) ;

वर्ग 2 ए : संपर्क अधिकारी, लेखा अधिकारी, मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक, सहायक विज्ञापन प्रबन्धक, सहायक परिचालन प्रबन्धक और कार्मिक अधिकारी ।

वर्ग 3 : विभागीय प्रमुख (पांच लिपिकों के कार्य का पर्यवेक्षक), विक्रय प्रतिनिधि, मुख्य लिपिक, वैयक्तिक सहायक (आशुलिपिक-सचिव), सहायक लेखापाल, विज्ञापन प्रतिनिधि ।

वर्ग 4 : आशुलिपिक, सहायक और लेजर लिपिक, जांची, तुलन-पत्रों या मूल्य निर्धारण पर कार्य कर रहे लिपिक, पहरा-निगरानी निरीक्षक, सहायक खजांची, वितरण निरीक्षक, विज्ञापन अनुवादक, स्वतन्त्र पत्राचार करने वाले लिपिक, विज्ञापनों के लिए निर्धारित कार्य या नकली विज्ञापन बनाना, गणन-यंत्र चालक, बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क जैसे कर मामलों से संबंधित कार्य करने वाले लिपिक, मजदूरी अदायगी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन सार तैयार करने वाले व्यक्ति, कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि की गणना, ऐसे व्यक्ति, जो गणना मशीनों पर कार्य करते हैं, टेलीप्रिंटर प्रचालक, क्षेत्र प्रबन्धक और ऐसे व्यक्ति जो ए० बी० सी० कार्य करते हैं, विज्ञान प्रूफ रीडर ।

वर्ग 5 : कारखाना लिपिक, व्यवसाय लिपिक, अभिलेखापाल, प्रति-लिपिकरण लिपिक, फायलिंग कार्य, बिल तैयार करने वाले, बिलों के लिए चलान, वितरण सूचियां तैयार करने वाले, समयपालक (समय कार्यालय, विज्ञापन बाक्स क्लार्क), लिपिक, टेलीफोन ऑपरेटर, पता लेखक, स्वागत अधिकारी, रेलवे प्रेषण लिपिक, पार्सल लिपिक, प्रेषणकर्मी, पैकिंग मशीन प्रचालक, स्वच्छता निरीक्षक, विज्ञापन की स्वीकृति से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति, प्रकाशनों की बिक्री और कैंटीन पर्यवेक्षक ।

वर्ग 6 : बिल कलक्टर, दफ्तरी या वे जो लिपिक का आधा कार्य करते हैं, चौकीदार और वितरण चपरासी ।

वर्ग 7 : चपरासी, सफाई कर्मचारी, वाहक, क्लीनर, कॉलबॉय, कैंटीनबॉय, पानी वाला, माली, राजमिस्त्री व पेंटर, दर्जी, अर्दली, दबीन, मसालची, मुख्य सफाई कर्मचारी ।

(ख) वर्ग 5, 6 तथा 7 समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के लिए :

वर्ग 1 : महाप्रबन्धक, प्रबन्धक और सचिव ।

वर्ग 2 : विभागीय प्रबन्धक (जो परिचालन, विज्ञापन विभागों कार्मिकों आदि के प्रभारी हैं), मुख्य लेखाकार (लेखाकार)।

वर्ग 3 : विभागीय प्रमुख (पांच लिपिकों के कार्य का पर्यवेक्षक), विक्रय प्रतिनिधि, मुख्य लिपिक, वैयक्तिक सहायक (आशुलिपिक-सचिव), सहायक लेखापाल, विज्ञापन प्रतिनिधि।

वर्ग 4 : आशुलिपिक, सहायक, लैजर लिपिक, खजांची, तुलन पत्रों या मूल्य निर्धारण पर कार्य कर रहे लिपिक, पहरा निगरानी निरीक्षक, सहायक खजांची, वितरण निरीक्षक, विज्ञापन अनुवादक, स्वतन्त्र पत्राचार करने वाले लिपिक, विज्ञापनों के लिए निर्धारित कार्य या नकली विज्ञापन बनाना, गणन-यंत्र चालक, बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क जैसे कर मामलों से संबंधित कार्य करने वाले लिपिक, मजदूरी अदायगी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन सार तैयार करने वाले व्यक्ति, कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि की गणना, ऐसे व्यक्ति, जो गणना मशीनों पर कार्य करते हैं, टेलीप्रिंटर प्रचालक, क्षेत्र प्रबन्धक और ऐसे व्यक्ति जो ए० बी० सी० कार्य करते हैं, विज्ञापन प्रूफ रीडर।

वर्ग 5 : कारखाना लिपिक, व्यवसाय लिपिक, अभिलेखापाल, प्रतिलिपिकरण लिपिक, फाइलिंग कार्य, बिल तैयार करने वाले, बिलों के लिए चालान, वितरण आवलियां तैयार करने वाले समयपालक (समय कार्यालय, विज्ञापन बॉक्स सार्टर), लिपिक, टेलीफोन आपरेटर, पता लेखक, स्वागत अधिकारी, रेलवे प्रेषण लिपिक, पार्सल लिपिक, प्रेषण कर्मी, फ्रैंकिंग मशीन प्रचालक, स्वच्छता निरीक्षक, विज्ञापन की स्वीकृति से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति, प्रकाशनों की बिक्री और कैंटीन पर्यवेक्षक।

वर्ग 6 : बिल कलक्टर, दफ्तरी या वे जो लिपिक का आधा कार्य करते हैं, चौकीदार और वितरण चपरासी।

वर्ग 7 : चपरासी, मेहतर, बैरा, क्लीनर, कॉलबॉय, कैंटीनबॉय, वाटरबॉय, माली, राज एवं रंगसाज, दर्जी, अर्दली, दर्बान, मशालची, प्रधान मेहतर;

II सारे समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के लिए कारखाना स्टाफ :

वर्ग 1 : ए और बी ग्रेड सुपरवाइजर, वातानुकूल प्लांट मैकेनिक, आर्मेचर बलयक, कैंटीन पर्यवेक्षक, मुख्य प्रेस विज्ञापन सहायक, कलर ग्रेवर, फिल्म इंपोजिटर, लिनो मैकेनिक्स, लिनोप्रचालक, माइक्रोफिल्म तकनीशियन, माइक्रोफिल्म यूनिट सहायक, मोनो-मैकेनिक, मोनो-आपरेटर, मोटर मैकेनिक, ऑफसेट मशीनमैन, ऑफसेट मैकेनिक्स, आफसेट मुद्रक, आफसेट रिटचर, फोटोग्राफर (प्रोसेस), प्रैस विज्ञापन सहायक, मुद्रक (फोरमैन कंपोजिंग सुपरवाइजर), रिप्रोफोटोग्राफर, रोटरी मशीन शिफ्ट इंचार्ज (माइंडर), रोटरी मैकेनिक, वरिष्ठ पेस्टर, वरिष्ठ मुद्रक, वरिष्ठ पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक (कंपोजिंग, साप्ताहिक कार्य और अन्य अनुभाग), टी० टी० एस० प्रचालक।

वर्ग 2 : ए पी एल प्रचालक सहायक कलर प्रिन्टर, सहायक लेआउट मैन, सहायक फोरमैन, सहायक मुद्रक, सहायक लिनो और मोनो मैकेनिक, सहायक मशीन मैन (आफ सैट), सहायक आफ सैट मुद्रक, ब्लाक रूम सहायक, ब्लाक रूम मैन, कैमरा प्रचालक, कलर प्रिंटर, कान्टेक्ट आपरेटर, कन्वेयर स्ट्रिक्ट मशीन मैन, संशोधक, उप फोरमैन (स्लोटाइन), ड्राइवर (I बी, I ए, I, II और III IV श्रेणियों के लिए, उकेरक (इन्प्रेवर), इन्लार्जर आपरेटर, फाइलिंग सहायक, फलागमैन, खाकान (इम्बोसिंग) मशीनमैन, हाफ टॉन ग्रेवर, हैंड कंपोजिटर (I बी, I ए, I, II, III और IV श्रेणियों के लिए), हैंडिंग मैन, इम्पोजर, योजक (ज्वाइनर), कनिष्ठ कलाकार, कनिष्ठ लिनो मैकेनिक, कनिष्ठ मुद्रक, लुडलो प्रचालक, मेकअप मैन, पेज मैन, धातु मुद्रक, प्रचालक कलर (उच्च दक्षता प्राप्त), फोटोग्राव्यूअर मशीनमैन, फोटो लेटरिंग मशीन प्रचालक, मुद्रण मशीन मैन (सभी वर्ग), प्रोसेस सहायक, प्रोसेस मुद्रक, प्रूफिंग मशीन मैन (आफ सेट), रोलस्टार मशीन मैन, रिप्रोफोटोग्राफर, रोटरी मशीन हैंडमैन, रोटरी मशीनमैन (सामान्य) रोटरी मशीन मैन, सारंग, स्टीरियो ब्लॉकमैन, स्टीरियो कास्टर, स्टीरियो कास्टिंग मैन, स्टीरियो कास्टिंग हैंडमैन, स्टीरियो फायरमैन, स्टीरियो मोल्डिंग मैन, स्टीरियो मैन, स्टोनहैंड।

ग्रुप 3 : वातानुकूलित संयंत्र क्लीनर, सहायक मुकदम, सहायक प्रिंटिंग मशीनमैन (सभी वर्ग), बन्डलर, कास्टर, चार्ज हैंड, पाम्पाटिया, चिपरया राउटर, कलर वर्क प्रूफिंग प्रैसमैन, कापी होल्डर, कटर, साइकिल मिस्त्री, डार्क रूम सहायक, ड्राइवर (श्रेणी 5, 6, और 7 के लिए), ई० आई० रोड़ आपरेटर, बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री (बी०एंड बी) फिलर (ए० बी० सी०), फिटर गैली प्रेसमैन, हैमरमैन, हैंड कंपोजिटर (श्रेणी 5, 6, और 7 के लिए), हैंड प्रेस मैन, लीड एंड रूल कास्टर, लाइन इचर, मशीनमैन (सिवाय रोटरी मशीनमैन), मशीनमैन (प्रिंटिंग के अलावा) मेंगनेशियम, मेसन, मैटल कास्टर, मिस्त्री, मोनोकास्टर, मोल्डर, न्यूज दफ्तरी, आफ सेट इंकनैन आपरेटर (ब्लैक और व्हाइट), पेंटर, प्लेट मेकर (ब्लैक और व्हाइट), नलसाज रोलरमैकर, रोटरी मुकदम, रूलिंग मशीनमैन, वरिष्ठ चार्ज हैंड, सिंग राइटर, स्टोर मुकदम, स्टोरकीपर, काउंटर, टर्नर (ए० और बी०), टर्नर, वायरमैन, वेल्डर।

ग्रुप 4 : सहायक मशीनमैन (प्रिंटिंग के अलावा), लुहार, रसोइया, कटिंग मशीनमैन, डिस्ट्रीब्यूटर, इंकमैन (रोटरी और अन्य मशीन) माउंटर, ट्रैवलमैन।

ग्रुप 5 : बालर मुकदम, बारमैन, जिल्दसाज, केस रूम क्लीनर, कलर वर्क परीक्षक, काउंटर, दफ्तरी, धोबी, फीडर, फर्राशबॉय, हविलदार, हैड चपरासी, इंकमैन, इंटरल कटर, जमादार, नाइफ-शार्पनर, लैड मेल्टर, लैड रूल कास्टर, लिफ्टमैन, लाइनों क्लीनर, लाक-अप मैन, मैटल कास्टर, मोनो क्लीनर, नंबर, पैकर, पेपरमैन, प्लेट ग्राइंडर, प्रूफ पुल्लर, रील वाइंडर, रोलरमैन, अर्ध कुशल बालर स्टिचर, बीलर (रोटरी क्लीनर), अन्य अर्ध कुशल परिचालक, क्लीनर और हैल्पर, चाहे उनका जो भी नाम हो।

ग्रुप 6 : बालर, बाइंडिंग बॉय, मजदूर रील लोडर और अनलोडर, ट्रोली मैन।

15. उपर्युक्त वर्ग ऐसे वर्ग है, जो आम तौर पर समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में पाये जाते हैं। कुछ समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ने अन्य वर्ग सृजित किए हैं, जो प्रतिष्ठानों के लिए विशेष सुविधा वाले हैं और जिसे अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा साधारणतया अनिवार्य नहीं समझा जाता है। जहां तक इन वर्गों का संबंध है, वेतनमान, प्रबन्ध और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच पारस्परिक वार्ताओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

16. किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उपर्युक्त वर्गों में निर्दिष्ट किसी वर्ग या सभी वर्गों के कर्मचारियों को नियोजित करें। कुछ वर्गों के कार्य को मिलाया जा सकता है। इस मामले में कर्मचारी को उस उच्च वर्ग का समझा जाएगा, जिसके कार्य आमतौर पर उसके द्वारा किए जाते हैं। अन्य मामलों में, किसी कर्मचारी द्वारा की जाने वाली ड्यूटियों से कर्मचारी के वर्ग का निर्धारण किया जाएगा। ऐसा वर्गीकरण करते समय पद या अनियमितता या प्रासंगिक कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

भाग 4

पारिश्रमिक :

17. मजदूरी, वेतनमान और ग्रेड :—विभिन्न श्रेणियों के समाचारपत्र संस्थानों में नियोजित भिन्न-भिन्न ग्रुपों के श्रमजीवी पत्रकारों को इससे संलग्न तालिका-1 में दिए गए वेतनमान के अनुसार प्रतिमाह मूल वेतन मिलना चाहिए।

मंहगाई भत्ता :

18. वर्तमान निर्धारित मंहगाई भत्ता, परिवर्ती मंहगाई भत्ता और मूल मजदूरी को, जिसमें अन्तरिम सहायता शामिल है, अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 390 (1949 = 100) के आधार पर निर्धारित किया गया है। नया परिवर्ती भत्ता सूचकांक 390 से आगे परिकलित किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन ऐसा करने में समतुल्य सूचकांक अर्थात् 321 (आधार 1960 = 100)

का, जिसका परिकलन श्रम ब्यूरो ने किया है और आधार 1960=100 की सीरीज का अनुसरण किया जाएगा क्योंकि 1949=100 की पुरानी सीरीज को बन्द कर दिया गया है। सूचकांक 321 से महंगाई भत्ते में 1960 सीरीज के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 प्वाइंटों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के साथ परिवर्तन होगा। महंगाई भत्ते में मजदूरी स्लेबों के साथ भी परिवर्तन होगा, जैसा इसके साथ संलग्न तालिका 2 में दिखाया गया है।

भाग 5

अन्य भत्ता :

1. (क) मकान किराया भत्ता :—इसके साथ संलग्न तालिका 3 में निर्दिष्ट मकान किराया भत्ता भी प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाएगा।

(ख) राशि पारी भत्ता :—समाचारपत्र प्रतिष्ठान द्वारा तालिका 4 में दिखाई गई दरों पर राशि पारी भत्ता दिया जाएगा।

(ग) प्रतिपूरक भत्ता :—सभी समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा तालिका 5 में निर्दिष्ट दरों पर प्रतिपूरक भत्ता दिया जाएगा।

भाग 6

20. फिटमेंट नियम :—(1) फिटमेंट नियमों के प्रयोजन के लिए "कर्मचारी" से "पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारी" अभिप्रेत है।

(2) किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियों" से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 390 (आधार 1949=100) आधार पर उसका मूल वेतन, निर्धारित महंगाई भत्ता, परिवर्ती महंगाई भत्ता तथा श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना तारीख पहली अप्रैल, 1977 के अनुसरण में दी गई अन्तरिम सहायता (तदर्थ भुगतान द्वारा), जो वैयक्तिक रूप से लागू है, अभिप्रेत होगी।

(3) किसी कर्मचारी की "अतिरिक्त परिलब्धियों" से "वर्तमान परिलब्धियों" के अलावा ऐसी परिलब्धियां अभिप्रेत है, जिनका उल्लेख नियम (2) में किया गया है, जो मूल वेतन, महंगाई भत्ते या अन्तरिम सहायता में समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा स्वैच्छिक रूप से या सामूहिक सौदाकारी, समझौते या पंचाट के फलस्वरूप दी गई है, परन्तु इनमें अन्य कोई भत्ता या आर्थिक लाभ या जिन्स में किसी प्रकार के अन्य लाभ का धन मूल्य शामिल नहीं होगा।

(4) "संशोधित वेतनमान" से अभिप्रेत इस सिफारिशों के अनुसार किसी कर्मचारी को लागू वेतनमान से होगा।

(5) संशोधित वेतनमान पहली जनवरी, 1978 से लागू होंगे, जिसको इसके पश्चात् "संगत तारीख" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) प्रत्येक कर्मचारी को उसकी "वर्तमान परिलब्धियों" के साथ संगत तारीख से संशोधित वेतनमान में लाया जाएगा और उपयुक्त स्टेज पर उस वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा, जो स्थिति के अनुसार या तो प्रारम्भिक नए वेतनमान के न्यूनतम या प्रारम्भिक वेतनमान से अधिक पर होगा।

(7) यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियां संशोधित वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हैं, परन्तु जो संशोधित वेतनमान की किसी भी स्टेज के बराबर नहीं हैं, तो उसके वेतन को उससे अगले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।

(8) इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी को संगत तारीख से पूर्व के पुराने वेतनमान में प्रत्येक पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी। ऐसी वेतन-वृद्धियों की कुल संख्या तीन से अधिक नहीं होगी :

बशर्ते कि,—

(i) किसी भी कर्मचारी को संशोधित वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा नहीं मिलेगा।

(ii) किसी भी सूरत में फिटमेंट या इन सिफारिशों में निर्दिष्ट उपबंधों के लागू होने के परिणामस्वरूप वर्तमान परिलब्धियों की कुल राशि को कम नहीं किया जाएगा, शेष राशि, यदि कोई हो, को वैयक्तिक वेतन समझा जाएगा।

(9) इन सिफारिशों से नियम (3) में निर्दिष्ट अतिरिक्त परिलब्धियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(10) इन सिफारिशों को लागू करने संबंधी सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के छः माह के भीतर प्रत्येक कर्मचारी या तो अपने पुराने वेतनमान और "वर्तमान परिलब्धियों" को रखने या संगत तारीख से संशोधित वेतनमान में आने के लिए अपना विकल्प देगा।

(11) पिछले मजदूरी बोर्ड के अनुसार "वर्तमान परिलब्धियां" और परिवर्ती महंगाई भत्ता उस समय तक दिया जाता रहेगा, जब तक कर्मचारी नियम (10) के अधीन अपना विकल्प नहीं देता।

(12) जब किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान को उपर्युक्त पैरा 13 के अन्तर्गत पुनः वर्गीकृत किया जाता है, तब कर्मचारी को उस श्रेणी के उपयुक्त संशोधित वेतनमान में फिट किया जाएगा। यदि मूल वेतन उस श्रेणी के संशोधित वेतनमान की स्टेज से मेल नहीं खाता, तो वर्गीकरण के बढ़ जाने से कर्मचारी का वेतन अगले उच्च स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा और वर्गीकरण के कम हो जाने पर कर्मचारी का वेतन पिछली स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा। दूसरे मामले में उच्चतर वर्तमान मूल वेतन को सुरक्षित रखा जाएगा और वर्तमान मूल वेतन तथा उसके नए वेतनमान के बीच के अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में समझा जाएगा या इसे भविष्य की वेतन-वृद्धियों में खपा दिया जाएगा।

(13) किसी कर्मचारी संशोधित वेतनमान में आने से उसकी सामान्य वेतन-वृद्धि की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

21. अधिनियम की धारा 13-घ के साथ पठित धारा 13-क की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित अन्तरिम मजदूरी दरें धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश लागू होने की तारीख से छः माह के पश्चात् ऊपर पैरा 20(10) के अनुसार कर्मचारी द्वारा विकल्प देने के पश्चात् जो भी पहले हो लागू नहीं रहेंगी।

22. पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारी को उसकी दो वर्ष की शिक्षुता अवधि के दौरान उस पद के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 60 प्रतिशत वजीफा मिलेगा जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है।

23. किसी विशेष समाचारपत्र प्रतिष्ठान को लागू स्थायी आदेशों के उपबन्धों के अध्यधीन पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारी को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षाधीन और पत्रकार समाचार कर्मचारी के रूप में नियोजित किया जाएगा। इस परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान उसे उस प्रतिष्ठान और ग्रुप, जिसमें वह परिवीक्षाधीन पत्रकार हैं, के वर्ग को लागू वेतनमान के न्यूनतम से कम मूल वेतन नहीं दिया जाएगा तथा उसे उस पद के लिए ग्राह्य भत्ते भी दिए जाएंगे। उच्च पद में परिवीक्षाधीन गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे श्रमजीवी पत्रकार के मामले में, यदि वह उच्च पद के न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन पा रहा है, तो उसे परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान निचले पद के वेतन के अतिरिक्त उच्च पद के न्यूनतम वेतन का 10 प्रतिशत मिलेगा।

लागू होने की तारीख :

24. ये प्रस्ताव पैरा 20(5) में निर्दिष्ट संगत तारीख से प्रत्येक समाचारपत्र प्रतिष्ठान के संबंध में लागू होंगे।

बकाया राशियों का भुगतान :

25. पैरा 20(5) में व्यवस्थित पूर्वापेक्षी तारीख से लागू होने के परिणामस्वरूप देय बकाया राशियों, यदि कोई हो, का भुगतान दो किस्तों से अधिक किस्तों में नहीं किया जाना चाहिए। यह भुगतान अधिनियम की धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाना चाहिए।

समाचार एजेंसियां :

26. 1-7-1976 से चार समाचार एजेंसियों के विलय के पश्चात् समाचार द्वारा निर्धारित संशोधित वेतनमानों से निस्सन्देह चारों समाचार एजेंसियों के सभी कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है। यह वृद्धि सचमुच पर्याप्त है। समाचार द्वारा दिए गए अनेक भत्तों, लाभों और सुविधाओं से कुल परिलब्धियों में वृद्धि हुई है। आय की ये आइटमें इस समय कुछ बड़े-बड़े समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, 1-4-77 से अपने कर्मचारियों को समाचार ने पूर्ववर्ती मजदूरी बोर्ड द्वारा दी गई ठोस अन्तरिम सहायता को मंजूरी दे दी। 13-4-1978 को समाचार को भंग कर दिया गया और तत्पश्चात् एजेंसियों को यथापूर्व स्थिति में लाया गया। यह महसूस करते हुए कि समाचार एजेंसियां समाचार द्वारा वर्धित व्यय को वहन करने के योग्य नहीं होंगी, सरकार ने सभी एजेंसियों को पुनर्वास ऋण दिए और 1984 तक 6 वर्ष के लिए सहायक अनुदान भी दिया। पुनर्वास प्रक्रिया अब चल रही है और उनकी वित्तीय क्षमता की स्पष्ट स्थिति इसलिए मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल हाल ही में कार्य करना शुरू किया है। अतः इस समय मजदूरी की दरों में कोई संशोधन करना संभव नहीं है। सभी समाचार एजेंसियां 1-4-1977 से अन्तरित सहायता का भुगतान कर रही हैं। उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में जारी रखा जाना चाहिए।

तालिका 1

गैर पत्रकार

प्रशासनिक स्टाफ

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
1 बी	1	कोई वेतनमान नहीं।	
(25 करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 50 करोड़ रुपये से कम)	2	1140-50-1340-75-1640-90-1910-110-2240 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	990-45-1170-60-1410-70-1620-85-1875 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	810-40-970-45-1150-50-1350-55-1570 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	770-35-910-40-1070-50-1270-55-1490 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	670-30-790-35-930-40-1090-45-1270 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	610-25-735-30-885-35-1025-40-1185 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	550-25-675-30-825-35-965-40-1125 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	1	कोई वेतनमान नहीं	
(1 करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 25 करोड़ रुपये से कम)	2	1090-50-1290-70-1570-85-1825-100-2125 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	940-45-1120-55-1340-65-1535-80-1775 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	770-35-910-40-1170-50-1270-55-1490 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	640-30-760-35-900-40-1060-45-1240 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	595-25-720-30-870-35-1010-40-1170 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	525-25-650-30-800-35-940-40-1100 रु० (5) (5) (4) (4)	18

गैर-पत्रकार

प्रशासनिक स्टाफ

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
I	1	कोई वेतनमान नहीं।	
(2 करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 10 करोड़ रुपये से कम)	2	1035-50-1235-65-1495-80-1735-95-2020 रुपये (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	900-35-1040-50-1240-60-1240-75-1645 रुपये (4) (4) (3) (3)	14
	3	735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	700-30-820-35-960-50-1160-55-1380 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	610-30-730-35-870-40-1030-45-1210 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	6	555-25-680-30-830-35-970-40-1130 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	7	500-20-600-25-725-30-845-35-985 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
II	1	1700 रुपये से कम नहीं।	
(एक करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 2 करोड़ रुपये से कम)	2	840-40-1000-45-1180-55-1345-65-1540 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	770-35-910-40-1070-50-1220-60-1400 रुपये (4) (4) (3) (3)	14
	3	685-30-805-35-945-45-1125-50-1325 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	665-30-785-35-925-45-1105-50-1305 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	590-25-690-30-810-35-950-40-1110 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	6	530-25-655-30-805-35-945-40-1105 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	7	475-20-575-25-700-30-820-35-960 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
III	1	1500 रुपये से कम नहीं।	
(50 लाख और उससे अधिक रुपये तथा 1 करोड़ रुपये से कम)	2	770-35-910-40-1070-50-1220-55-1385 रुपये (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	735-35-875-40-1035-45-1170-50-1320 रुपये (4) (4) (3) (3)	14
	3	665-30-785-35-925-40-1085-45-1265 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	555-25-655-30-775-35-915-30-1075 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	6	500-20-600-25-725-30-845-35-985 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	7	450-20-550-25-675-30-795-35-935 रुपये (5) (5) (4) (4)	18

गैर-पत्रकार

प्रशासनिक स्टाफ

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
IV	1	1400 रुपये से कम नहीं।	
(30 लाख और उससे अधिक रुपये तथा 50 लाख रुपये से कम)	2	700–30–820–45–960–45–1095–50–1245 रुपये (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	675–30–795–35–935–40–1055–45–1190 रुपये (4) (4) (3) (3)	14
	3	600–25–700–30–820–35–960–40–1120 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	560–25–660–30–780–35–920–40–1080 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	505–25–605–30–725–35–865–40–1025 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	6	465–20–565–25–690–30–810–35–950 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	7	425–20–525–25–650–30–770–35–910 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
V	1	1300 रुपये से कम नहीं।	
(15 लाख और उससे अधिक रुपये और 30 लाख रुपये से कम)	2	660–30–780–35–920–40–1040–45–1175 रुपये (4) (4) (3) (3)	14
	3	600–25–700–30–820–35–960–40–1120 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	540–25–640–30–760–35–900–40–1060 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	490–20–570–25–670–30–790–35–930 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	6	440–20–540–25–665–30–785–35–925 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	7	400–15–475–20–575–25–675–30–795 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
VI	1	1200 रुपये से कम नहीं।	
(5 लाख और उससे अधिक रुपये तथा 15 लाख रुपये से कम)	2	630–30–750–35–890–40–1010–45–1145 रुपये (4) (4) (3) (3)	14
	3	575–25–675–30–795–35–935–40–1095 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	500–20–580–25–680–30–800–35–940 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	420–20–500–25–600–30–720–35–860 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	6	375–15–450–20–550–25–650–30–770 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	7	325–15–400–20–500–25–600–30–720 रुपये (5) (5) (4) (4)	18

गैर-पत्रकार

प्रशासनिक स्टाफ—जारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
VII	1	1150 रुपये से कम नहीं।	
(5 लाख रुपये से कम)	2	605–30–725–35–865–40–985–45–1120 रुपये (4) (4) (3) (3)	14
	3	540–25–640–30–760–35–900–40–1060 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	480–20–560–25–660–30–780–35–920 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	410–20–490–25–590–30–710–35–850 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	6	355–15–430–20–530–25–630–30–750 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	7	300–10–350–15–425–20–505–25–605 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
		कारखाना कर्मचारी	
1बी	1	770–35–910–50–1110–60–1350–70–1560 रुपये (4) (4) (4) (3)	15
(25 करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 50 करोड़ रुपये से कम)	2	700–30–820–40–980–50–1180–60–1420 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	3	675–30–795–35–935–45–1115–50–1315 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	650–30–770–35–910–40–1070–45–1250 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	600–25–725–30–875–35–1015–40–1175 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	6	550–25–675–30–825–35–965–40–1125 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
1ए	1	735–35–875–45–1055–55–1275–65–1470 रुपये (4) (4) (4) (3)	15
(10 करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 25 करोड़ रुपये से कम)	2	670–30–790–35–930–45–1110–55–1330 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	3	645–30–765–35–905–40–1065–45–1245 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	620–30–740–35–880–40–1040–45–1220 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	590–25–715–30–865–35–1005–40–1165 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	6	525–25–650–30–800–35–940–40–1100 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
I	1	700–30–820–40–980–50–1180–60–1360 रुपये (4) (4) (4) (3)	15
(2 करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 10 करोड़ रुपये से कम)*	2	640–30–760–35–900–40–1060–45–1240 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	3	615–30–735–35–875–40–1035–45–1215 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	590–25–690–30–810–35–950–40–1110 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	530–25–655–30–805–35–945–40–1105 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	6	500–20–600–25–725–30–845–35–985 रुपये (5) (5) (4) (4)	18

गैर-पत्रकार

कारखाना कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
II (1 करोड़ और उससे अधिक रुपये तथा 2 करोड़ रुपये से कम)	1	665-30-785-35-925-45-1105-50-1255 रुपये (4) (4) (4) (3)	15
	2	630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 रुपये (4) (1) (4) (4)	16
	3	595-25-695-30-815-35-955-40-1115 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	570-25-670-30-790-35-930-40-1090 रुपये (4) (1) (4) (4)	16
	5	510-25-635-30-785-35-925-40-1085 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	6	475-20-575-25-700-30-820-35-960 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
III (50 लाख और उससे अधिक रुपये तथा एक करोड़ रुपये से कम)	1	630-30-750-35-890-40-1050-45-1185 रुपये (4) (1) (4) (3)	15
	2	595-25-695-30-815-35-955-40-1115 रुपये (1) (1) (4) (4)	16
	3	570-25-670-30-790-35-930-40-1090 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	550-25-650-30-770-35-910-40-1070 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	500-20-600-25-725-30-845-35-985 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	6	450-20-550-25-675-30-795-35-935 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
IV. (30 लाख और उससे अधिक रुपये तथा 50 लाख रुपये से कम)	1	590-25-690-30-810-35-950-40-1070 रुपये (4) (4) (4) (3)	15
	2	530-25-630-30-750-35-890-40-1050 रुपये (4) (1) (4) (4)	16
	3	510-25-610-30-730-35-870-40-1030 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	500-20-580-25-680-30-800-35-940 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	450-20-550-25-675-30-795-35-935 रुपये (5) (5) (1) (4)	18
	6	425-20-525-25-650-30-770-35-910 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
V. (15 लाख और उससे अधिक रुपये तथा 30 लाख रुपये से कम)	1	560-25-660-30-780-35-920-40-1040 रुपये (4) (4) (4) (3)	15
	2	515-25-615-30-735-35-875-40-1035 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	3	490-20-570-25-670-30-790-35-930 रुपये (4) (4) (4) (1)	16
	4	475-20-555-25-655-30-775-35-915 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	425-20-525-25-650-30-770-35-910 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	6	400-15-475-20-575-25-675-30-795 रुपये (5) (5) (4) (4)	18

गैर-पत्रकार

कारखाना कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
VI.	1	540-25-640-30-760-35-900-40-1020 रुपये (4) (4) (4) (3)	15
(5 लाख और उससे अधिक रुपये तथा 15 लाख रुपये से कम)	2	470-20-550-25-650-30-770-35-910 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	3	450-20-530-25-630-30-750-35-890 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	410-20-490-25-590-30-710-35-850 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	370-15-445-20-545-25-645-30-765 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	6	325-15-400-20-500-25-600-30-720 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
VII.	1	520-25-620-30-740-35-880-40-1000 रुपये (4) (4) (4) (3)	15
(5 लाख रुपये से कम)	2	450-20-530-25-630-30-750-35-890 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	3	400-15-460-20-540-25-640-30-760 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	4	370-15-430-20-510-25-610-30-730 रुपये (4) (4) (4) (4)	16
	5	330-15-405-20-505-25-605-30-725 रुपये (5) (5) (4) (4)	18
	6	300-10-350-15-425-20-505-25-605 रुपये (5) (5) (4) (4)	18

तालिका II

मंहगाई भत्ते की दरें

मूल वेतन स्लैब	सूचकांक में छः पाइंटों की वृद्धि होने पर दी जाने वाली राशि	सूचकांक निम्नलिखित पाइंटों पर पहुंचने पर देय मंहगाई भत्ता						
		1960=100 327	333	339	345	351	357	363
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
300 रु० तक	8.00	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00
301 रु० से 350 रु० तक	8.40	8.40	16.80	25.20	33.60	42.00	50.40	58.80
351 रु० से 400 रु० तक	9.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00
401 रु० से 450 रु० तक	10.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
451 रु० से 500 रु० तक	11.00	11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00
501 रु० से 550 रु० तक	12.00	12.00	24.00	36.00	48.00	60.00	72.00	84.00
551 रु० से 700 रु० तक	13.00	13.00	26.00	39.00	52.00	65.00	78.00	91.00
701 रु० से 1000 रु० तक	14.00	14.00	28.00	42.00	56.00	70.00	84.00	98.00
1001 रु० से 1150 रु० तक	15.00	15.00	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00	105.00
1151 रु० से 1300 रु० तक	16.00	16.00	32.00	48.00	64.00	80.00	96.00	112.00
1301 रु० से 1600 रु० तक	18.00	18.00	36.00	54.00	72.00	90.00	108.00	126.00
1601 रु० से 2000 रु० तक	19.00	19.00	38.00	57.00	76.00	95.00	115.00	133.00
2001 रु० से 2500 रु० तक	21.00	21.00	42.00	63.00	84.00	105.00	126.00	147.00
2501 रु० से 3000 रु० और इससे अधिक	22.00	22.00	44.00	66.00	88.00	110.00	132.00	154.00

तालिका III

मकान किराया भत्ते की दरें

1	2	3	4	5
मूल वेतन स्लैब	महानगर	राज्यों की राजधानियां	जिला मुख्यालय	अन्य स्थान
	(बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास)	(स्तम्भ-2 में निर्दिष्ट महानगरों को छोड़कर)	(स्तम्भ-3 में निर्दिष्ट नगरों को छोड़कर)	
300 रु० तक	वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि 45 रु०	वेतन का 12½ प्रतिशत अधिकतम राशि 37.50 रु०	वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम राशि 30 रु०	वेतन का 7½ प्रतिशत अधिकतम राशि 22.50 रु०
301 रु० से 500 रु० तक	15 प्रतिशत न्यूनतम राशि 45 रु० अधिकतम राशि 75 रु०	12½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 37.50 रु० अधिकतम राशि 62.50 रु०	10 प्रतिशत न्यूनतम राशि 30 रु० अधिकतम राशि 50 रु०	7½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 22.50 रु० अधिकतम राशि 37.50 रु०
501 रु० से 600 रु० तक	15 प्रतिशत न्यूनतम राशि 75 रु० अधिकतम राशि 90 रु०	12½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 62.50 रु० अधिकतम राशि 75 रु०	10 प्रतिशत न्यूनतम राशि 50 रु० अधिकतम राशि 60 रु०	7½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 37.50 रु० अधिकतम राशि 45 रु०
601 रु० से 800 रु० तक	15 प्रतिशत न्यूनतम राशि 90 रु० अधिकतम राशि 120 रु०	12½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 75 रु० अधिकतम राशि 100 रु०	10 प्रतिशत न्यूनतम राशि 60 रु० अधिकतम राशि 80 रु०	7½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 45 रु० अधिकतम राशि 60 रु०
801 से 1000 रु० तक	15 प्रतिशत न्यूनतम राशि 120 रु० अधिकतम राशि 150 रु०	12½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 100 रु० अधिकतम राशि 125 रु०	10 प्रतिशत न्यूनतम राशि 80 रु० अधिकतम राशि 100 रु०	7½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 60 रु० अधिकतम राशि 75 रु०
1001 रु० से 2000 रु० तक	15 प्रतिशत न्यूनतम राशि 150 रु० अधिकतम राशि 300 रु०	12½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 125 रु० अधिकतम राशि 250 रु०	10 प्रतिशत न्यूनतम राशि 100 रु० अधिकतम राशि 200 रु०	7½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 75 रु० अधिकतम राशि 150 रु०
2001 रु० से 2500 रु० तक	15 प्रतिशत न्यूनतम राशि 300 रु० अधिकतम राशि 375 रु०	12½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 250 रु० अधिकतम राशि 312.50 रु०	10 प्रतिशत न्यूनतम राशि 200 रु० अधिकतम राशि 250 रु०	7½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 150 रु० अधिकतम राशि 187.50 रु०
2501 रु० से 3000 रु० तक और इससे अधिक	15 प्रतिशत न्यूनतम राशि 375 रु० अधिकतम राशि 450 रु०	12½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 312.50 रु० अधिकतम राशि 375 रु०	10 प्रतिशत न्यूनतम राशि 250 रु० अधिकतम राशि 300 रु०	7½ प्रतिशत न्यूनतम राशि 187.50 रु० अधिकतम राशि 225 रु०

तालिका IV

रात्रि पारी की दरें

रात्रि पारी भत्ता इस प्रकार दिया जाएगा —

	समाचार पत्र प्रतिष्ठान
श्रेणी Iबी और Iए	— 4 रु० प्रति रात
श्रेणी I और II	— 3 रु० प्रति रात
श्रेणी III और IV	— 2 रु० प्रति रात

तालिका V

प्रतिकर भत्ते की दरें

स्थान	मूल वेतनमान	प्रतिकर भत्ता
1. महानगर (बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली)	300 रु०	वेतन का 6% परन्तु अधिकतम 75 रु०
2. राज्यों की राजधानियां (ऊपर I में निर्दिष्ट महानगरों को छोड़कर)	333 रु० से कम	वेतन का 5%
	330 रु० और उससे अधिक	वेतन का 4½% परन्तु न्यूनतम 16.45 रु० और अधिकतम 50 रु० प्रति माह
3. जिला नगर (राज्य की राजधानियों को छोड़कर)	750 रु० से कम	वेतन का 3.5 प्रतिशत परन्तु
	750 रु० और इससे अधिक	अधिकतम 10 रु० प्रति माह राशि जो 750 रु० से कम है।

[सं० वी०-24040/180-वे०म०]

डी० जी० पालेकर, अधिकरण,

गैर श्रमजीवी समाचार पत्र कर्मचारी।

S.O. 216(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13 DD of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955 (45 of 1955), the Central Government by Notification S.O. 81(E) dated 9th February, 1979 published in the Gazette of India Extra Ordinary Part-II Section 3, Sub-section (ii), dated 9th February, 1979 constituted a Tribunal consisting of Shri D. G. Palekar, retired Judge of the Supreme Court, for the purpose of fixing and revising rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees. The Tribunal has now framed tentative proposals on wage rates and allied matters in respect of non-journalist newspaper employees which are being published for general information as appendix A to this notification. Those interested in forwarding their comments should send the same in five copies to the Administrative Officer of the Tribunal, Shramik Shiksha Bhavan, L. B. Shastri Marg, Kurla, Bombay-400070, not later than 31st March, 1980.

APPENDIX 'A'

TENTATIVE PROPOSALS OF THE TRIBUNAL FOR NON-JOURNALIST NEWSPAPER EMPLOYEES

SECTION I

Preliminary :

1. Definitions :

The expressions 'Newspaper Establishment', 'Working Journalist' and 'Non-Journalist Newspaper Employee' shall have the same meaning as assigned to them in the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955, hereinafter called the "Act". For the purpose of these proposals 'newspaper Establishment' shall not include a News Agency.

'Accounting Year' used with reference to a particular year, shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is a calendar year, mean that calendar year and shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is different from the calendar year, mean that accounting year of the establishment of which more than half falls in the particular year.

Example : If the accounting year of a newspaper establishment starts from April 1st, reference to the accounting year 1977 in the succeeding paragraphs shall be construed as reference to the accounting year 1977-78 of such establishment. On the other hand, if the accounting year of a newspaper establishment starts from 1st October, reference to the accounting year 1977 in these paragraphs will be construed as reference to the accounting year 1976-77 of that establishment.

In the case of a newspaper establishment where the accounting year starts from 1st July, the accounting year would be the year in which the first six months fall.

'Category' means any of the kind of employees meantioned under the occupational groups set out in paragraph 14.

'Gross Revenue' of a newspaper establishment means revenues derived by the establishment from all sources of its newspaper business, including circulation of and advertisements in its newspaper or newspapers, and also includes income from the assets acquired and investments made out of funds earned in the newspaper business.

'Revenue in respect of circulation and advertisement' shall be taken to be the amount arrived at after deducting the commission actually allowed to the extent to which the amount of commission so allowed is reasonable. Reasonable commission is one which is finally accepted by the Income authorities in the case of a particular newspaper establishment. In cases where no such final decision of the Income Tax authorities is available, the circulation commission shall be 28 per cent and the advertisement commission shall be 15 per cent of the respective revenues.

SECTION II

Classification of Newspaper Establishments :

2. For the purpose of fixation of wages of the Non-Journalist Newspaper Employees, newspaper establishments shall be classified in the manner herein-after provided.

3. Classification of newspaper establishments should be based on the average gross revenues of 3 accounting years, 1977, 1978 and 1979.

4. In the case of a newspaper establishment completing two out of the aforesaid 3 accounting years, its classification should be determined on the basis of its average gross revenue for these 2 years.

5. In the case of a newspaper establishment which has completed only one year of the said accounting years, its classification should be determined on the basis of its gross revenues for that year.

6. A new newspaper establishment i.e., a newspaper establishment to which the provisions of paras 3, 4, and 5 do not, in terms apply, is liable to be classified after the completion of its first accounting year on the basis of its gross revenue for that year.

7. Notwithstanding anything said in paras 4 to 6 above, a newspaper establishment which is classified on the basis of 2 accounting years shall be placed one class lower than the class in which it is liable to be placed and a newspaper establishment which is classified on the basis of one accounting year, two classes lower. In either case, it shall not be lower than Class VII.

8. Where a classified newspaper establishment starts one of its old newspapers from a new centre where it has no other newspaper publication shall, so far as the new centre is concerned, be placed for the first 2 accounting years one class below the class in which it would be liable to be placed on the basis of its total gross revenue; and a classified newspaper establishment which starts a new newspaper from a centre where it has no other newspaper publication, shall be similarly liable to be placed in a lower class for three accounting years at the new centre. In either case, it shall not be placed lower than class VII, so far as the new centre is concerned.

9. The classification determined in accordance with the provisions of paragraphs 3 to 8 shall continue until the newspaper establishment is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 13.

10. If the ownership of the newspaper establishment is transferred by one person to another, the provisions of paragraphs 2 to 9 shall apply to such newspaper establishment as if the gross revenue of the newspaper establishment for the relevant accounting years under the previous owner were its revenues for those years under the new owner.

11. Newspaper establishment shall be classified under the following 9 classes on the basis of their gross revenues :—

CLASS	GROSS REVENUES
IB	Rs. 25 crores and above and less than Rs. 50 crores.
IA	Rs. 10 crores and above and less than Rs. 25 crores.
I	Rs. 2 crores and above and less than Rs. 10 crores.
II	Rs. 1 crore and above and less than Rs. 2 crores.
III	Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 crore.
IV	Rs. 30 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs.
V	Rs. 15 lakhs and above and less than Rs. 30 lakhs.
VI	Rs. 5 lakhs and above and less than Rs. 15 lakhs.
VII	Less than Rs. 5 lakhs.

12. If the advertisement revenue derived by a newspaper establishment other than one falling in class VII, is less than 40 per cent of its gross revenue reduced by advertisement revenue, it should be placed in the class next below that in which it would fall on the basis of its gross revenue.

Reclassification :

13. It shall be open either to the Employer or to the employees to seek a reclassification of a newspaper establishment at any time after the accounting year 1981 on the basis of the average gross revenues of the 3 immediately preceding accounting years, provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of 3 consecutive accounting years.

SECTION III

14. Grouping of Non Journalist Newspaper Employees :

I. **Administrative Staff :**

(a) for newspaper establishments other than Classes V, VI and VII.

GROUP-1 : General Manager, Manager and Secretary

GROUP-2 : Departmental Managers (those who are Incharge of Circulation, Advertisement Departments, Personnel etc.), Chief Accountant (Accountant), P.R.Os. (Classes IB, IA, I and II Papers).

GROUP-2A : Liaison Officers, Accounts Officers, Chief Internal Auditor, Assistant Advertisement Managers, Assistant Circulation Managers, and Personnel Officers.

GROUP-3 : Sectional Heads (Supervising work of 5 clerks), Business Canvassers, Sales Representatives, Head Clerks, Personal Assistants (Steno-Secretaries), Assistant Accountant, Advertisement Representative.

GROUP-4 : Stenographer, Assistants, Ledger Clerks, Cashiers, Clerks working on Balance sheets or costing, Watch and Ward Inspectors, Assistant Cashiers, Circulation Inspectors, Advertisement Translators, Clerks doing independent correspondence, scheduling work for advertisements or making advertisement dummy, Comptists, Clerks doing work relating to tax matters like Sales Tax, Income Tax, Excise duty, Persons dealing with the preparation of abstracts under the Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Calculating E.S.I. and provident Fund, those working on Accounting Machines, Teleprinter Operators, Field Organisers and those doing ABC, Advertisement Proof Readers.

GROUP-5 : Factory Clerks, Works Clerks, Record-keepers, Clerks doing simple copying work, Filing work, those preparing bills, Challans for bills, Circulation receipts, Time-keepers (Time Office, Advt. Box sorters), Typists, Telephone Operators, Addressographers, Receptionists, Railway Despatch Clerks, Parcel Clerks, Despatchers, Franking Machine Operators, Sanitary Inspectors, Persons dealing with the acceptance of advertisements, sale of publications and Canteen Supervisors.

GROUP-6 : Bill Collectors, Daftry or those doing Semi-clerical work, Watchman and delivery Peons.

GROUP-7 : Peon, Sweeper, Bearer, Cleaner, Callboy, Canteenboy, Waterboy, Mali, Mason-cum-painter, Tailor, Orderlies, Durwans, Masalchi, Head Sweeper.

(b) for newspaper establishments Classes V, VI and VII.

GROUP-1 : General Manager, Manager and Secretary.

GROUP-2 : Departmental Managers (those who are Incharge of Circulation, Advertisement Departments, Personnel etc.), Chief Accountant (Accountant).

GROUP-3 : Sectional Heads (supervising work of 5 clerks), Business Canvassers, Sales Representatives, Head Clerks, Personal Assistants (Steno-Secretaries), Assistant Accountant, Advertisement Representative.

GROUP-4 : Stenographer, Assistants, Ledger Clerks, Cashiers, Clerks working on Balance sheets or costing, Watch and Ward Inspectors, Assistant Cashiers, Circulation Inspectors, Advertisement Translators, Clerks doing independent correspondence, scheduling work for advertisements or making advertisement dummy, Comptists, Clerks doing work relating to tax matters like Sales Tax, Income Tax, Excise duty, persons dealing with the preparation of abstracts under the Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Calculating E.S.I. and Provident Fund, those working on Accounting Machines, Teleprinter Operators, Field Organisers and those doing ABC, and Advertisement Proof Readers.

GROUP-5 : Factory Clerks, Works Clerks, Record-keepers, Clerks doing simple copying work, Filing work, those preparing bills, Challans for bills, Circulation Receipts, Time-keepers (Time Office, Advt. Box sorters), Typists, Telephone Operators, Addressographers, Receptionists, Railway Despatch Clerks, Parcel Clerks, Despatchers, Franking Machine Operators, Sanitary Inspectors, Persons dealing with the acceptance of advertisements, sale of publications, Canteen Supervisors.

GROUP-6 : Bill Collectors, Daftry or those doing semi-clerical work, Watchman and delivery Peons.

GROUP-7 : Peon, Sweeper, Bearer, Cleaner, Callboy, Canteenboy, Waterboy, Mali, Mason-cum-painter, Tailor, Orderlies, Durwans, Masalchi, Head Sweeper.

II. **Factory Staff for all Newspaper Establishments.**

GROUP-1 : A & B Grade Supervisor, Air Condition Plant Mechanic, Armature Winder, Canteen Supervisor, Chief Press Advertising Asstt., Colour-etcher, Film Impositor, Lino Mechanics, Lino Operator, Microfilm Technician, Microfilm Unit Assistant, Mono-Mechanics, Mono Operator, Motor Mechanics, Off-set Machineman, Off-set Mechanics, Off-set Printer, Off-set Retoucher, Photographer (Process), Press Advt. Assistant, Printers (Foreman Composing Supervisor), Reprophotographer, Rotary Machine Shift Incharge (Minder), Rotary Mechanics, Senior Paster, Senior Printer, Senior Supervisor, Supervisor, Supervisor (Composing, weekly job & other sections), T.T.S. Operator.

GROUP-2 : APL Operator, Asstt. Colour Printer, Asstt. Layout Man, Asstt. Foreman, Asstt. Printer, Asstt. Lino & Mono Mechanic, Asstt. Machineman (Off-set), Asstt. Off-set Printer, Block-room Assistant, Block-room man, Camera Operator, Colour Printer, Contact Operator, Convevor Striker Machineman, Corrector, Deputy Foreman (Guillotine), Driver (for classes IB, IA, I, II, III & IV), Engraver, Enlarger Operator, Filing Assistant, Flongman, Graining Machineman, Half-tone Etcher, Hand Compositor (for Classes IB, IA, I, II, III & IV), Headingman, Imposer, Joiner, Junior Artist, Junior Lino Mechanic, Junior Printer, Ludlow Operator, Makeup Man, Page Man, Metal Printer, Operator Colour (Highly Skilled), Photogravure Machineman, Photo Lettering Machine Operator, Printing Machineman (All Categories), Process Assistant, Process Printer, Proofing Machineman (Off set), Reelster Machineman, Reprophotographer, Rotary Machine Headman, Rotary Machineman (General), Rotary Machineman, Sarang,

Stereo Blockman, Stereo Caster, Stereo Castingman, Stereo Casting Headman, Stereo Fireman, Stereo-mouldingman, Stereoman, Stonehand.

GROUP-3 : Air Condition Plant Cleaner, Asstt. Mukadam Asstt. Printing Machineman (all categories), Bundler, Caster, Carpenter, Charge Hand (Palatia), Chipper or Router, Colour work, Proofing Pressman, Copy-holder, Cutter, Cycle Mistry, Dark Room Assistant, Driver (for Classes V, VI and VII), El-Rod Operator, Electrician, Electrician (B & B), Filler (A, B & C), Fitter, Galley Pressman, Hammer-man, Hand-Compositor (for Classes V, VI and VII), Hand Pressman, Lead and Rule Caster, Line etcher, Machineman (Except Rotary Machineman), Machineman (other than Printing), Mangleman, Mason, Metal Caster, Mistry, Monocaster, Moulder, News Daftary, Off-set Inkman, Operator (Black & White), Painter, Plate maker (Black & White), Plumber, Roller maker, Rotary Mukadam, Ruling Machineman, Sr. Charge hand, Sing Writer, Store Mukadam, Storepaper Counter, Turner (A & B), Turner, Wireman, Welder.

GROUP-4 : Asstt. Machineman (Other than Printing), Blacksmith, Cook, Cutting Machineman, Distributor, Inkman (Rotary and other Machine), Mounter, Treadleman.

GROUP-5 : Baller Mukadam, Barman, Binder, Case Room Cleaner, Colour work Examiner, Counter, Daftry, Dhobi, Feeder, Flyboy, Havildar, Head Peon, Inkman, Interlay Cutter, Jamadar, Knife-sharpener, Lead Melter, Lead Rule Caster, Liftman, Line Cleaner, Lockup-man, Metal Caster, Mono Cleaner, Numberer, Packer, Paperman, Plate Grinder, Proof Puller, Reel Winder, Rollerman, Semi-skilled Baller, Stitcher, Wheeler (Rotary Cleaner), All other semi-skilled attendants, Cleaners and helpers by whatever name they are called.

GROUP-6 : Baller, Binding Boy, Mazdoor, Reel Loader and Unloader, Trolleyman.

15. The categories mentioned above are those which are generally found in newspaper establishments. Some newspaper establishments have created other categories which are peculiar to the establishments and not generally considered to be essential by other establishments. So far as these categories are concerned, the scales of pay may be determined by mutual negotiations between the Management and the representatives of the employees.

16. It is not obligatory for a newspaper establishment to employ any or all of the categories mentioned in the groups above Functions of some categories may be combined, in which case the employee shall be deemed to belong to the highest category of which functions are normally performed by him. In other cases, the principal duties performed by an employee should determine the category of the employee; neither designation nor casual or occasional work should be taken into account for such categorisation.

SECTION IV

Remuneration :

17. Wages, Scales and Grades.—Non Journalist Newspaper Employees of different groups employed in different classes of newspaper establishments should be paid basic pay per mensem in accordance with the scales as shown in Table I attached hereto.

Dearness Allowance :

18. The existing Fixed Dearness Allowance, Variable Dearness Allowance and Basic wages including Interim Relief have been pegged at the All India Average Consumer Price Index Number 390 (1949=100). The new Variable Dearness Allowance will be calculated and paid to all employees from the Index Number 390 onwards. But, in doing so, the equivalent number, namely, 321 (Base 1960=100) as computed by the Labour Bureau, and the series with Base 1960=100 will be followed as the old series 1949=100 has been discontinued. The Dearness Allowance from the Index Number 321 will vary with every rise or fall of 6 points in the Consumer Price Index Number of 1960 series. The Dearness Allowance will also vary with wage slabs as illustrated in the Table II attached herewith.

SECTION V

Other Allowances :

19. (a) **House Rent Allowance :**

House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid to each employee.

(b) **Night Shift Allowance :**

Night Shift Allowance will be paid by Newspaper establishments at the rates as shown in Table IV.

(c) **Compensatory Allowance :**

Compensatory Allowance will be paid by all Newspaper Establishments at the rates mentioned in Table V.

20. **Fitment Rules.**—(1) For the purpose of fitment rules and "employee" means a Non-Journalist Newspaper Employee.

(2) The "Present Emoluments" of an employee shall mean his Basic pay, Fixed Dearness Allowance, Variable Dearness Allowance, at the Consumer Price Index Number 390 (base 1949=100) and Interim Relief (by way of Ad-hoc payment) applicable individually, granted in pursuance of the Notification dated 1st April, 1977, issued by the Government of India, Ministry of Labour, in respect of Non-Journalist Newspaper Employees.

(3 The "Additional Emoluments" of an employee shall mean, emoluments other than the "Present Emoluments" referred to in rule (2) granted by Newspaper Establishments either voluntarily, or as a result of collective bargaining, agreement or as a result of collective bargaining, agreement or award in Basic Wage, Dearness Allowance or Interim Relief, but shall not include any other allowance or monetary benefit or money value of any other benefit in kind.

(4) The "Revised Pay Scale" shall mean the pay scale applicable to an employee as per these recommendations.

(5) The revised pay scales shall come into force with effect from 1st January, 1978, referred to hereinafter as the "relevant date".

(6) Every employee with his "Present Emoluments" will be brought on to the revised pay scale with effect from the 'relevant date' and fitted into that pay scale at the appropriate stage, either at the initial new minimum or higher than the initial in the pay scale, as the case may be.

(7) In case the present emoluments of an employee are higher than the minimum of the revised pay scale, but not at the level with any stage in the revised pay scale, he will be stepped up to the immediate next level.

(8) In addition every employee shall be given one increment in the revised pay scale for completion of every five years' service in the old pay scale prior to the relevant date. The total number of increments shall not be more than three.

Provided that—

(i) no employee shall get more than the maximum of the revised pay scale.

(ii) in no case should the total of the present emoluments be reduced as a result of fitment or operation of the provisions contained in these recommendations; the balance, if any, may be treated as Personal Pay.

(9) These recommendations will not effect the additional emoluments referred to in rule (3).

(10) Within six months from the date of publication of Government Notification enforcing these recommendations every employee shall exercise his option either to retain his old pay scale and "present emoluments" or to come on the revised pay scale with effect from the relevant date.

(11) The "Present Emoluments" together with Variable Dearness Allowance as per the last Wage Board will continue to be paid till such time as the option is exercised by an employee under rule (10).

(12) When a newspaper establishment is reclassified under para 13 above, the employee should be fitted into the revised pay scale appropriate to that class. When the basic pay does not coincide with a stage in the revised pay scale of that class the employee should be fitted at the next higher stage, when the classification goes up and at the next lower stage, when the classification goes down. In the latter case the higher existing basic pay should be protected and the difference between the existing basic pay and the pay to which he is so fitted may be treated as personal pay or it may be absorbed in future increments.

(13) The fitment of an employee in the revised pay scale will not affect his normal date of increment.

21. The Interim rates of wages fixed by Government in exercise of powers conferred by Sub-Section I of Section 13A read with Section 13D of the Act, shall cease to be in operation six months after the date of the order of the Central Government under Section 12 coming into operation or the option exercised as per Para 20(10) above whichever is earlier.

22. A Non Journalist Newspaper Employee, during the apprenticeship period of two years, shall be paid a stipend of 60 per cent of the Basic pay and allowances applicable to the post for which he is being trained.

23. Subject to the provisions of the standing orders applicable to a particular newspaper establishment, a Non Journalist Newspaper Employee may be employed as a probationer for a period not exceeding one year during which, he shall be paid basic pay of not less than the minimum of the scale applicable to the class of establishment and group in which he is a probationer along with the allowances attached to the post. In the case of a Non Journalist Newspaper employee acting as a probationer in a higher post if he is drawing more than the minimum pay of the higher post, then, he should get 10 per cent of the minimum pay of the higher post in addition to his salary of the lower post during the probationary period.

24. **Date of Operation.**—These proposals should be operative in respect of each newspaper establishment from the relevant date of applicable to it in accordance with para 20(5).

25. **Payment of Arrears.**—The arrears payable, if any, as a result of retrospective operation provided in para 20(5) should be paid in not more than two instalments, not later than nine months from the date of the publication of the order of the Central Government under Section 12 of the Act.

26. **News Agencies.**—The revised pay scales introduced by Samachar after the merger of four news agencies from 1st July, 1976 have undoubtedly benefitted all the employees of the four news agencies. The rise has been quite substantial. The several allowances, benefits and facilities allowed by the Samachar have increased the total emoluments. These items of income are not at present available to the staff of some top newspaper establishments. Moreover from 1st April, 1977, the Samachar sanctioned to its employees substantial interim relief granted by the predecessor Wage Board. The Samachar was disbanded on 13th April, 1978 and thereafter the news agencies were relegated to the **status quo ante.** Realising that the news agencies would not be able to bear the increased burden created by the Samachar, Government granted rehabilitation loans to all the agencies and further grants-in-aid for 6 years till 1984. The rehabilitation process is now in operation and a clear picture of their financial capacity is not available in view of the fact that they have only recently started refunctioning. Therefore, no revision of rates of wages is possible at the present stage. All the news agencies are paying the interim relief from 1st April, 1977. The same should be continued as personal pay.

TABLE I

NON JOURNALISTS

ADMINISTRATIVE STAFF

Class of establishment	Group of employees	Scale	Years
IB	1	No. scale	
(Rs. 25 crores and above and less than Rs. 50 crores)	2	Rs. 1140-50-1340-75-1640-90-1910-110-2240 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 990-45-1170-60-1410-70-1620-85-1875 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 810-40-970-45-1150-50-1350-55-1570 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1270-55-1490 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 670-30-790-35-930-40-1090-45-1270 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 610-25-735-30-885-35-1025-40-1185 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 550-25-675-30-825-35-965-40-1125 (5) (5) (4) (4)	18
IA	1	No. scale	
(Rs. 10 crores and above and less than Rs. 25 crores)	2	Rs. 1090-50-1290-70-1570-85-1825-100-2125 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 940-45-1120-55-1340-65-1535-80-1775 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1270-55-1490 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 640-30-760-35-900-40-1060-45-1240 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 595-25-720-30-870-35-1010-40-1170 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 525-25-650-30-800-35-940-40-1100 (5) (5) (4) (4)	18

NON JOURNALISTS

ADMINISTRATIVE STAFF

Class of establishment	Group of employees	Scale	Years
I	1	No scale	
(Rs. 2 crores and above and less than Rs. 10 crores)	2	Rs. 1035-50-1235-65-1495-80-1735-95-2020 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 900-35-1040-50-1240-60-1420-75-1645 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 700-30-820-35-960-50-1160-55-1380 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 610-30-730-35-870-40-1030-45-1210 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 555-25-680-30-830-35-970-40-1130 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 500-20-600-25-725-30-845-35-985 (5) (5) (4) (4)	18
II	1	Not less than Rs. 1700	
(Rs. 1 crore and above and less than Rs. 2 crore.)	2	Rs. 840-40-1000-45-1180-55-1345-65-1540 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1220-60-1400 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 685-30-805-35-945-45-1125-50-1325 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 665-30-785-35-925-45-1105-50-1305 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 590-25-690-30-810-35-950-40-1110 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 530-25-655-30-805-35-945-40-1105 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 475-20-575-25-700-30-820-35-960 (5) (5) (4) (4)	18
III	1	Not less than Rs. 1,500	
(Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 crore)	2	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1220-55-1385 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 735-35-875-40-1035-45-1170-50-1320 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 665-30-785-35-925-40-1085-45-1265 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 555-25-655-30-775-35-915-40-1075 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 500-20-600-25-725-30-845-35-985 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 450-20-550-25-675-30-795-35-935 (5) (5) (4) (4)	18
IV	1	Not less than Rs. 1,400	
(Rs. 30 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs)	2	Rs. 700-30-820-35-960-45-1095-50-1245 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 675-30-795-35-935-40-1055-45-1190 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 600-25-700-30-820-35-960-40-1120 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 560-25-660-30-780-35-920-40-1080 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 505-25-605-30-725-35-865-40-1025 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 465-20-565-25-690-30-810-35-950 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 425-20-525-25-650-30-770-35-910 (5) (5) (4) (4)	18

NON JOURNALISTS

ADMINISTRATIVE STAFF

Class of establishment	Group of employees	Scale	Years
V (Rs. 15 lakhs and above and less than Rs. 30 lakhs)	1	Not less than Rs. 1,300	
	2	Rs. 660-30-780-35-920-40-1040-45-1175 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 600-25-700-30-820-35-960-40-1120 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 540-25-640-30-760-35-900-40-1060 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 490-20-570-25-670-30-790-35-930 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 440-20-540-25-665-30-785-35-925 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 400-15-475-20-575-25-675-30-795 (5) (5) (4) (4)	18
VI (Rs. 5 lakhs and above and less than Rs. 15 lakhs)	1	Not less than Rs. 1200	
	2	Rs. 630-30-750-35-890-40-1010-45-1145 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 575-25-675-30-795-35-935-40-1095 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 500-20-580-25-680-30-800-35-940 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 420-20-500-25-600-30-720-35-860 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 375-15-450-20-550-25-650-30-770 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 325-15-400-20-500-25-600-30-720 (5) (5) (4) (4)	18
VII (Less than Rs. 5 lakhs)	1	Not less than Rs. 1,150	
	2	Rs. 605-30-725-35-865-40-985-45-1120 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 540-25-640-30-760-35-900-40-1060 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 480-20-560-25-660-30-780-35-920 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 410-20-490-25-590-30-710-35-850 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 355-15-430-20-530-25-630-30-750 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 300-10-350-15-425-20-505-25-605 (5) (5) (4) (4)	18

FACTORY EMPLOYEES

IB (Rs. 25 crores and above and less than Rs. 50 crores)	1	Rs. 770-35-910-50-1110-60-1350-70-1560 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 700-30-820-40-980-50-1180-60-1420 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 675-30-795-35-935-45-1115-50-1315 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 650-30-770-35-910-40-1070-45-1250 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 600-25-725-30-875-35-1015-40-1175 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 550-25-675-30-825-35-965-40-1125 (5) (5) (4) (4)	18

NON JOURNALISTS

FACTORY EMPLOYEES

Class of establishment	Group of employees	Scale	Years
IA (Rs. 10 crores and above and less than Rs. 25 crores)	1	Rs. 735-35-875-45-1055-55-1275-65-1470 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 670-30-790-35-930-45-1110-55-1330 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 645-30-765-35-905-40-1065-45-1245 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 620-30-740-35-880-40-1040-45-1220 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 590-25-715-30-865-35-1005-40-1165 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 525-25-650-30-800-35-940-40-1100 (5) (5) (4) (4)	18
I (Rs. 2 crores and above and less than Rs. 10 crores)	1	Rs. 700-30-820-40-980-50-1180-60-1360 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 640-30-760-35-900-40-1060-45-1240 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 615-30-735-35-875-40-1035-45-1215 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 590-25-690-30-810-35-950-40-1110 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 530-25-655-30-805-35-945-40-1105 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 500-20-600-25-725-30-845-35-985 (5) (5) (4) (4)	18
II (Rs. 1 crore and above and less than Rs. 2 crores)	1	Rs. 665-30-785-35-925-45-1105-50-1255 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 595-25-695-30-815-35-955-40-1115 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 570-25-670-30-790-35-930-40-1090 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 510-25-635-30-785-35-925-40-1085 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 475-20-575-25-700-30-820-35-960 (5) (5) (4) (4)	18
III (Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 crore)	1	Rs. 630-30-750-35-890-40-1050-45-1185 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 595-25-695-30-815-35-955-40-1115 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 570-25-670-30-790-35-930-40-1090 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 550-25-650-30-770-35-910-40-1070 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 500-20-600-25-725-30-845-35-985 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 450-20-550-25-675-30-795-35-935 (5) (5) (4) (4)	18
IV (Rs. 30 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs)	1	Rs. 590-25-690-30-810-35-950-40-1070 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 530-25-630-30-750-35-890-40-1050 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 510-25-610-30-730-35-870-40-1030 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 500-20-580-25-680-30-800-35-940 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 450-20-550-25-675-30-795-35-935 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 425-20-525-25-650-30-770-35-910 (5) (5) (4) (4)	18

NON JOURNALISTS

FACTORY EMPLOYEES

Class of establishment	Group of employees	Scale	Years
V (Rs. 15 lakhs and above and less than Rs. 30 lakhs)	1	Rs. 560-25-660-30-780-35-920-40-1040 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 515-25-615-30-735-35-875-40-1035 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 490-20-570-25-760-30-790-35-930 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 475-20-555-25-655-30-775-35-915 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 425-20-525-25-650-30-770-35-910 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 400-15-475-20-575-25-675-30-795 (5) (5) (4) (4)	18
VI (Rs. 5 lakhs and above and less than Rs. 15 lakhs)	1	Rs. 540-25-640-30-760-35-900-40-1020 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 470-20-550-25-650-30-770-35-910 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 450-20-530-25-630-30-750-35-890 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 410-20-490-25-590-30-710-35-850 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 370-15-445-20-545-25-645-30-765 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 325-15-400-20-500-25-600-30-720 (5) (5) (4) (4)	18
VII (Less than Rs. 5 lakhs)	1	Rs. 520-25-620-30-740-35-880-40-1000 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 450-22-530-25-630-30-750-35-890 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 400-15-460-20-540-25-640-30-760 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 370-15-430-20-510-25-610-30-730 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 330-15-405-20-505-25-605-30-725 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 300-10-350-15-425-20-505-25-605 (5) (5) (4) (4)	18

TABLE—II

RATES OF DEARNESS ALLOWANCE

Basic pay slabs	Amount to be paid for rise in index of six points	Dearness Allowance to be paid when Index reaches						
		1960=100	327	333	339	345	351	357	363
	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Upto Rs. 300/-	8.00		8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00
Rs. 301 to Rs. 350	8.40		8.40	16 80	25.20	33.60	42.00	50.40	58 80
Rs. 351 to Rs. 400/-	9.00		9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00
Rs. 401 to Rs. 450/-	10.00		10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
Rs. 451 to Rs. 500/-	11.00		11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rs. 501 to 550/-	12.00	12.00	24.00	36.00	48.00	60.00	72.00	84.00
Rs. 551 to Rs. 700/-	13.00	13.00	26.00	39.00	52.00	65.00	78.00	91.00
Rs. 701 to Rs. 1000/-	14.00	14.00	28.00	42.00	56.00	70.00	84.00	98.00
Rs. 1001 to Rs. 1150/-	15.00	15.00	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00	105.00
Rs. 1151 to Rs. 1300/-	16.00	16.00	32.00	48.00	64.00	80.00	96 00	112.00
Rs. 1301 to Rs. 1600/-	18.00	18.00	36.00	54.00	72.00	90.00	108.00	126.00
Rs. 1601 to Rs. 2000/-	19.00	19.00	38.00	57.00	76.00	95.00	114.00	133.00
Rs. 2001 to Rs. 2500/-	21.00	21.00	42.00	63.00	84.00	105.00	126.00	147.00
Rs. 2501 to Rs. 3000/- and above	22.00	22.00	44.00	66.00	88.00	110.00	132.00	154.00

TABLE III

RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE

1	2	3	4	5
Basic Pay Slabs	Metropolitan Cities (Bombay, Calcutta, Delhi, Madras)	State Capitals Other than those mentioned in Col. 2	District Head Quarters Other than those mentioned in column 3	Others Places
Upto Rs. 300/-	15% of pay with a maximum of Rs. 45/-	12½% of pay with a maximum of Rs. 37.50	10% of pay with a maximum of Rs. 30/-	7½% of pay with a maximum of Rs. 22.50
Rs. 301 to Rs. 500/-	15% Minimum Rs. 45/- Maximum Rs. 75/-	12½% Minimum Rs. 37.50 Maximum Rs. 62.50	10% Minimum Rs. 30/- Maximum Rs. 50/-	7½% Minimum Rs. 22.50 Maximum Rs. 37.50
Rs. 501 to Rs. 600/-	15% Minimum Rs. 75/- Maximum Rs. 90/-	12½% Minimum Rs. 62.50 Maximum Rs. 75.00	10% Minimum Rs. 50/- Maximum Rs. 60/-	7½% Minimum Rs. 37.50 Maximum Rs. 45.00
Rs. 601 to Rs. 800/-	15% Minimum Rs. 90/- Maximum Rs. 120/-	12½% Minimum Rs. 75/- Maximum Rs. 100/-	10% Minimum Rs. 60/- Maximum Rs. 80/-	7½% Minimum Rs. 45/- Maximum Rs. 60/-
Rs. 801 to Rs. 1000/-	15% Minimum Rs. 120/- Maximum Rs. 150/-	12½% Minimum Rs. 100/- Maximum Rs. 125/-	10% Minimum Rs. 80/- Maximum Rs. 100/-	7½% Minimum Rs. 60/- Maximum Rs. 75/-
Rs. 1001 to Rs. 2000/-	15% Minimum Rs. 150/- Maximum Rs. 300/-	12½% Minimum Rs. 125/- Maximum Rs. 250/-	10% Minimum Rs. 100/- Maximum Rs. 200/-	7½% Minimum Rs. 75/- Maximum Rs. 150/-
Rs. 2001 to 2500/-	15% Minimum Rs. 300/- Maximum Rs. 375/-	12½% Minimum Rs. 250/- Maximum Rs. 312.50	10% Minimum Rs. 200/- Maximum Rs. 250/-	7½% Minimum Rs. 150/- Maximum Rs. 187.50
Rs. 2501 to Rs. 3000/- and above.	15% Minimum Rs. 375/- Maximum Rs. 450/-	12½% Minimum Rs. 312.50 Maximum Rs. 375.00	10% Minimum Rs. 250/- Maximum Rs. 300/-	7½% Minimum Rs. 187.50 Maximum Rs. 225.00

TABLE IV

RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCES

Night Shift allowance will be paid as follows :—

Newspaper Establishments

Class IB and IA	.. Rs. 4 per night
Class I and II	.. Rs. 3 per night
Class III and IV	.. Rs. 2 per night

TABLE V

RATES OF COMPENSATORY ALLOWANCES

Places	Basic Pay Slabs	Compensatory Allowance
1. Metropolitan cities (Bombay, Calcutta, Madras & Delhi)	Rs. 300 and above	6% of pay subject to a maximum of Rs. 75
2. State Capitals (excluding those specified in 1 above)	Below Rs. 330/-	5% of pay
	Rs. 330 and above	4⅓% of pay subject to a minimum of Rs. 16.45 and a maximum of Rs. 50 p.m.
3. District Towns (other than State Capitals)	Below Rs. 750	3.5% of pay subject to a maximum of Rs. 10 p.m.
	Rs. 750 and above	Amount by which pay falls short of Rs. 759

[No·V-24040/1/80-WB]

D.G. PALLEKAR, Tribunal for Non-Journalist Newspaper Employees

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.